नगर परिषद चम्बा, तहसील व जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/21 से 03/23

भाग-एक

1 **प्रारम्भिक** :-

(क) ग्यारहवे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल०ए०)-खण्ड –IV दिनांक 16-10- 2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत नगर परिषद चम्बा के लेखों का अंकेक्षण अवधि 01-04-21 से 31-03-23 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :-

प्रधान नगर परिषद :-

क्रम सं	प्रधान का नाम	अवधि
1.	श्रीमति नीलम नैयर	01 -04-21 से 31.03.23

कार्यकारी अधिकारी :-

क्रम सं	अधिकारी का नाम व पद नाम	अवधि
1.	श्री अक्षित गुप्ता	01.04.2021 से 02.08.2022
2.	श्रीमती राखी कौशल	25.08.2022 से 31.08.2022
3.	श्री अक्षित गुप्ता	01.09.2022 से 06.10.2022
4.	श्रीमती राखी कौशल	10.10.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं०	पैरा सं०	विवरण	राशि (₹ लाखों में)
1	4 क (2) व 4 (क)(i)	बैंक समाधान विवरणी अनुसार दिनांक 31-03-23 का असमाधान अन्तर व रोकड़ बही में हस्तगत राशियों का न दर्शाना।	20.23
2	6 (ग)	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष।	1151.52
3 .	7	गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करना।	311.17
4.	8	दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष।	48.77
5.	9	विभिन्न मोबाइल टावरों की नवीनीकरण फीस वसूली हेतु शेष।	2.46
6 .	11	पार्किग स्थल की नीलामी की बकाया राशि न वसूलना।	12.51
7 .	12 (क)	रेहन वसेरे को ठेके पर देने के परिणामस्वरूप देय की राशि की वसूली न करना	1.58
8.	13 (क)	जंजघर/ विश्राम गृह से किराये की वसूली न करना ।	8.95
9.	14.	जन्साली मौहला की पार्किग पर अनुपयोगी व्यय करना	38.10
10.	15	तहबाजारी शुल्क की कम वसूली करना।	9.85
11.	17 (क)	घर से घर कूड़ा एकत्रीकरन हेतु वसूले यूजर चार्जेज के रूप में वसूली गई राशि को जमा न कर, दुरूपयोग/गबन करना	1.99
12.	17 (ख)	डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण हेतु यूजर चार्जेज के रूप में न वसूलने के परिणाम स्वरूप नगर परिषद को हानि	70.15
13 .	19	सफाई से सम्बन्धित ठेकेदार को GST का अनियमित भुगतान	25.42
14.	20	सफाई के ठेके का अभिलेख न प्रस्तुत करना व अन्य	201.29

		गम्भीर अनियमितताएं	
15.	23	बिल /वाउचर न प्रस्तुत करना	13.65
16.	32	स्थापना पर अनियमित व्यय	416.61
17.	33 व 34	श्रीमति नरसी, CO व श्री राजेश चौधरी सहायक अभियन्ता को वेतन के रूप में अधिक भुगतान	0.53
18.	35	अग्रिम का समायोजन न करना	5.88

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। प्राय: यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यंत चिन्ताजनक है। मामला शहरी विकास विभाग के उच्च अधिकारीयों के ध्यान में लाया जाता है अत: नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए,ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

नगर परिषद चम्बा के लेखों अवधि 01-04- 21 से 31-03-23 का वर्तमान अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 02-04-23 से 17-06-23 तक के दौरान चम्बा में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है। आय के लिए माह **07/21,03/23 व** तथा व्यय के लिए माह **02/22 व 09/22** का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है हि.प्र.राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

नगर परिषद के अवधि **04/21 से 03/23** तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹56000/-**आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक,राज्य लेखा परीक्षा विभाग-शिमला-9 को भेजने हेतु, सहायक नियन्त्रक की **अधियाचना संख्या: 82 दिनांक 17.06.23** द्वारा वर्तमान कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया नगर परिषद के कार्यालय द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए उक्त राशि को कार्यकारी अधिकारी द्वारा चैक संख्या 000595 दिनांक 26.06.2023 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 **वितीय स्थिति**:- नगर परिषद चम्बा की अवधि 04/ 21 से 03/23 तक की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से है । जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –ख** में दिया गया है।

(क) मुख्य रोकड़ बही

वितीय वर्ष	2021-22	2022-23
प्रारंभिक शेष	107175182.14	112301024.14
अपने स्त्रोतों से आय	18275384.00	13245445.16
अनुदान से आय	66937590.00	103686847.00
ब्याज	5043293.00	5755918.00
अन्य आय	2503073.00	26301875.00
कुल राशि	199934522.14	261291109.30
व्यय	69435957.00	69127301.00
हस्तान्तरित राशि	18197541.00	76051865.00
अंतिम शेष	112301024.14	116111943.30

BANK BALANCE AS ON 31.03.2023 (MC)

BANK NAME	ACCOUNT NO.	BALANCE
HDFC CHAMBA	50100065459872	21826039.18
HDFC CHAMBA	50100377055710	74501472.00
H.P.S.C BANK Chamba	17910117303	19590880.07

H.P.S.C BANK Chamba	17910123574	4981.00
SBI Chamba	30986744343	16276.30
Total		115939648.55

Bank Reconciliation statement of MC Fund as on 31.03.2023

Balance as per Cash Book as on 31-03-2023				116111943.30
Add Cheque issued but not present for payment				
Sr. No.	Cheque No.	Dated	Amount	
1	000562	23-03-23	1870.00	
2	000564	23-03-23	1131957.00	1133827.00

Less Cheque deposited in bank but not credited in bank till 31/3/23				
Sr. No.	Cheque No.	Dated	Amount	
1	860203	16.03.23	8400.00	
2	359594	16.03.23	36266.00	
3	717681	16.03.23	34267.00	
4	717682	16.03.23	25700.00	
5	717683	16.03.23	25700.00	
6	717684	16.03.23	8400.00	
7	185009	18.03.23	8400.00	
8	078291	18.03.23	16800.00	
9	072970	18.03.23	16800.00	
10	000580	21.03.23	85668.00	
11	000044	21.03.23	16580.00	
12	753565	22.03.23	30712.00	
13	879087	22.03.23	8400.00	
14	879086	22.03.23	8400.00	

15	517201	22.03.23	8400.00	
16	073581	22.03.23	8400.00	
17	961374	24.03.23	4900.00	
18	827026	24.03.23	8400.00	
19	038829	24.03.23	8400.00	
20	089693	25.03.23	8400.00	
21	270589	27.03.23	8400.00	
22	270588	27.03.23	8400.00	
23	652020	28.03.23	50000.00	
24	023913	28.03.23	16800.00	
25	362313	29.03.23	16800.00	
26	020669	29.03.23	14278.00	
27	020671	29.03.23	2662.00	
28	020672	29.03.23	31412.00	
29	095590	31.03.23	48337.00	
30	022914	31.03.23	4100.00	
31	288814	31.03.23	17712.00	
32	085515	31.03.23	3961.00	
33	513169	31.03.23	700.00	
34	553749	31.03.23	4843.00	
35	362312	31.03.23	34142.00	
36	905739	31.03.23	68534.00	
37	002380	31.03.23	1428.00	
38	234983	31.03.23	8400.00	
39	369092	31.03.23	1000.00	
40	369093	31.03.23	1000.00	

41	033823	31.03.23	4100.00	
42	691439	31.03.23	8400.00	
43	011051	31.03.23	3500.00	
44	967903	31.03.23	20800.00	
45	911233	31.03.23	15349.00	
46	248328	31.03.23	8400.00	780851.00
Less Cash not deposited till 31.03.2023			annx-1	
Cash deposited in bank on dated 03.04.2023				885228.00
Cash deposited in bank on dated 11.04.2023				434715.00
Payment Double Debit by Bank RTGS no 7713 Dt 28/03/23, as well as in Cashbook & Same as Credit back in Cashbook & in Bank in the month of May-2023				773352.00
Bal as per financial position/cash book as on 31.03.2023				**114371624.30**
Less Unreconcille Differnce				
Up 31.03.21 (para 4of audit report 04/19 to 03/21			(-)454654.25	
Up 31.03.23 (para 4 of audit report 04/21 to 03/23			(+)2022678.50	
Total			(+)1568024.25	(+)1568024.25
Bal as per bank as on 31.03.2023				**115939648.55**

बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) बैंक समाधान विवरणी अनुसार ₹780851 को विभिन्न चैकों के माध्यम से बैंक में जमा किया गया था लेकिन बैंक द्वारा 31.03.23 तक उसको बैंक खाता में क्रेडिट नही किया गया था। जिसकी पुष्टि सम्बन्धित बैंक से करके खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) बैंक समाधान विवरणी अनुसार दिनांक 31-03-23 तक ₹2022678.50 का असमाधान अन्तर (unreconciled difference)दर्शाया गया है जिसका समायोजन दिनांक 31.03.23 तक नही किया गया था जोकि गम्भीर चिंता का विषय है तथा ऐसी स्थिति में किसी भी राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: वर्णित अन्तर व उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) माह के अन्त में रोकड़ बही में हस्तगत राशियों का न दर्शाना/ प्रमाणित करना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि माह के अन्त में मुख्य रोकड़ बही में हस्तगत राशियों से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दर्शाया गया है यदि माह के अन्त में कोई भी राशी हस्तगत नहीं है तो उस माह में हस्तगत से सम्बन्धित शून्य प्रमाण पत्र रोकड़ बही में दर्शाना अपेक्षित था जबकि लेखा शाखा द्वारा रोकड़ बही में कोई भी किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दर्शाया गया है गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्या :4(ii) द्वारा भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जो कि गम्भीर अनियमितता है।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या :15 दिनाकं 17.04.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउतर संख्या :656 दिनाकं 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त आपति पर उचित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: वर्णित अन्तर व उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए यथाशीघ्र समाधान करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii)प्रोभ्द्वन लेखांकन आधार पर दोहरी लेखा पद्धति (Maintenance of Accounts on Accual basis in Double entry System) का उपयोग न करने बारे व लेखों का प्रमाणीकरण बारे :-

निदेशक, शहरी विकास हि.प्र.के पत्र सं : UD-H(C)-15-49/2003-iii/3332-3279 dt. 25.03.09 व UD-H(C)-15-49/2003-iii/9337-9385 dt. 07.09.09 व UD-H(C)-15-49/2003-iv/5215-63 dt.19.07.10 द्वारा सभी नगर परिषद को लेखा खातों का रख रखा व प्रोभ्द्वन लेखांकन आधार पर आय –व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए दोहरी लेखा पद्धति का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद चम्बा द्वारा लेखा खाता का रख-रखा व प्रोभ्द्वन लेखांकन के आधार पर आय –व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए दोहरी लेखा पद्धति का

उपयोग नहीं किया जा रहा था बल्कि अपने लेखा खातों का रख -रखाव एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जो की अनियमित है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा तलपट, आय व व्यय खाता तथा तुलन-पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया (अंतिम लेखों के अभाव में अंकेक्षण द्वारा लेखों का प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका) अत: भविष्य में प्रोभ्दवन लेखांकन के आधार पर डबल एंट्री बही खाता पद्धति का उपयोग करके बही खातों का रख रखा व करना सुनिश्चित किया जाए व अन्तिम लेखे अर्थात तलपट आय-व्यय व तुलन-पत्र आदि प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

	(ख)IDSMT रोकड़ बही	
वितीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारंभिक शेष	**3526165.28**	2260442.28
अन्य आय	0.00	0.00
ब्याज	99593.00	62661.00
कुल राशि	3625758.28	2323103.28
ब्यय	1365316.00	0.00
अन्तिम शेष	**2260442.28**	**2323103.28**
	BANK BAL AS ON 31.03.2023	
BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
PNB	1420000103057184	2314229.28
CBI	2173081658	0.00
TOTAL		**2314229.28**
	BRS AS ON 31.03.23 BAL AS PER CASH BOOK	
less Amount drawn from bank(a/c 57184) on dated 11.12.10 but not entered in cash book till 31.03.23	**8000.00**	**2323103.28**
Amount drawn from bank(a/c 57184) on dated 21.12.10 but not entered in cash book till 31.03.23	**55.00**	
Amount drawn from	**819.00**	**8874.00**

bank(a/c 81658) on dated 15.10.10 but not entered in cash book till 31.03.23		
	BAL AS PER PASS BOOK	**2314229.28**

(1) बैंक समाधान विवरणी अनुसार जाँच में पाया कि PNB खाता -57184 से दिनाक 11.12.10 व 21.12.10 को क्रमश : ₹8000 व ₹55 तथा CBI खाता -81658 से दिनाक 15.10.10 को ₹819 आहरित किए गए थे लकिन रोकड़ वही में इन राशियों की प्रविष्टी नहीं की गयी थी और न ही कोई बिल वाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए। जिससे ऐसा संशय होता है कि इन राशियों का दुरूपयोग किया गया है अत : इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) SWM रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारंभिक शेष	5886.00	6065.00
ब्याज	179.00	170.00
कुल राशि	6065.00	6235.00
ब्यय	0.00	0.00
अन्तिम शेष	**6065.00**	**6235.00**

BANK BAL AS ON 31.03.2021(BRGF)

BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
HPGB	99011300101087	6235.00
TOTAL		**6235.00**

	(घ) पेंशन रोकड़ बही	
वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारंभिक शेष	**643871.64**	182073.64
मुख्य निधि खाते से हंस्तारित राशि	9887384.00	10822987.00
ब्याज	6762.00	6010.00
कुल राशि	10538017.00	11011070.64
व्यय	10355944.00	10816733.00
अन्तिम शेष	**182073.64**	**194337.64**
BANK BAL AS ON 31.03.2023(PENSION)		
BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
PNB	1420000100119337	206498.64
TOTAL		206498.64
	BRS AS ON 31.03.23	
BAL AS PER CASH BOOK		**194337.64**
ADD cheque issued but not presented for payment		
ch no 000234 dt 11/10	2000	**10000.00**
ch no dt 12/10	2000	
ch no dt 01/11	2000	
ch no 917950 dt 03.06.13	2000	
ch no 917973 dt 10.12.13	2000	
Amount deposited into bank On 08.09.12 but not entered in cash book		**2401.00**

LESS Bank charges but not entered in cash book	240.00
BAL AS PER PASS BOOK	**206498.64**

(i) अंकेक्षण में पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में वर्णित ₹10000 के चैक वर्ष 2010 से 2013 तक के दौरान भुगतान हेतु जारी किए गए थे परन्तु दिनांक 31.3.23 तथा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा अब वर्णित चैक कालातीत हो चुके है। अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित बैंक से भुगतान की पुष्टि के पश्चात इनकी रोकड़ बही reverse प्रविष्टि करके समायोजन करना सुनिश्चित किया जाये।

(ii) इसी प्रकार दिनांक 08.09.12 को ₹2401 की राशि बैंक में जमा की गई थी जिसकी रोकड़ बही में दिनांक 31.3.23 तक प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः अब ₹2401 की प्रविष्टि रोकड़ बही में सुनिश्चित करके अन्तर का समाधान किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) बैंक समाधान विवरणी अनुसार ₹240 बैंक द्वारा Bank Charges के Debit किए गए जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी। यह अनियमितता पूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.15 से 31.03.17 के पैरा संख्या 4 (घ) के बैंक समाधान विवरणी में भी ध्यान में लाई गई थी परन्तु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड.)NULM रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारंभिक शेष	91711.32	214.00
अनुदान से आय	0.00	0.00
अन्य आय	11861.00	0.00
ब्याज	4535.00	1.00
कुल राशि	108107.32	215.00
व्यय	107893.32	215.00
अन्तिम शेष	**214.00**	**0.00**

(च) CLC रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारम्भिक शेष	333985.33	177452.33
अपने खाते से आय	306297	8440
NULM के खाते से हंस्तान्तित राशि	शून्य	75753
मुख्य निधि खाते से हंस्तान्तित राशि	784561	647305.00
SWM निधि से हंस्तान्तित राशि	352413	1983942.50
Chowari & Dalshousie के खाते से हंस्तान्तित राशि	शून्य	204064
MC से अनुदान प्राप्त	0.00	603380.00
ब्याज	4429	10847
कुल राशि	1781685.33	3711183.83
व्यय	1378437	2719420.50
अव्ययित शेष राशि स्थानांतरण	225796	352179.00
अंतिम शेष	**177452.33**	**639584.33**

BANK BAL AS ON 31.03.2023 (CLC)

BANK NAME	ACC. NO.	BAL
HPSB	17910119876	**639584.33**
TOTAL		**639584.33**

Bal as per Cash Book on 31/03/2023	**639584.33**
Bal as per Pass Book on 31/03/2023	**639584.33**

(छ)CPF रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
प्रारम्भिक शेष	7343071.55	8613364.55
ब्याज	211855.00	252388.00
मुख्य निधि खाते से हस्तांतरित राशि	1473438.00	1879605.00
कुल राशि	9028364.55	10745357.55
व्यय	415000.00	836425.00
अन्तिम शेष	**8613364.55**	**9908932.55**

Bank Balance As On 31.03.2023

Bank Name	Account No	Balance
SBI	31359683589	9908932.55
Total		**9908932.55**

(ज)GPF रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारम्भिक शेष	1999512.15	2646595.15
ब्याज	60748.00	64784.00
मुख्य निधि खाते से हस्तांतरित राशि	1586323.00	1803877.00
कुल राशि	3646583.15	4515256.15
व्यय	999988.00	1933800.00
अन्तिम शेष	**2646595.15**	**2581456.15**

Bank Balance As On 31.03.2023

Bank Name	ACC No	Balance
SBI	11149813891	2581456.15
Total		**2581456.15**

(झ)Gratuity रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
प्रारम्भिक शेष	337339.00	121843.00
ब्याज	8737.00	8733.00
मुख्य निधि खाते से हस्तांतरित राशि	677585.00	3583108.00
कुल राशि	1023661.00	3713684.00
व्यय	901818.00	3044079.00
अन्तिम शेष	**121843.00**	**669605.00**

BANK BAL AS ON 31.03.2023(Gratuity)

emaN knaB	oN tnuoccA	ecnalaB
IBS	31782536868	669605.00
latoT	**669605.00**	

(ञ)NRY रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
प्रारम्भिक शेष	220124.50	226777.50
ब्याज	6653.00	6625.00
कुल राशि	226777.50	233402.50
व्यय	0.00	0.00
अन्तिम शेष	**226777.50**	**233402.50**

BANK BAL AS ON 31.03.2023

emaN knaB	oN tnuoccA	ecnalaB
HPSC	17910104913	82774.50

HPSC	17910102268	150628.00
Total		233402.50

(ट)PMAY रोकड़ बही

वितीयवर्ष	2021-2022	2022-2023
प्रारंभिक शेष	38580.00	0.00
अनुदान से प्राप्त आय	11000893.00	7785580.00
ब्याज	11919.00	84.00
कुल राशि	11051392.00	7785664.00
अनुदान से व्यय	10780893.00	7785580.00
हस्तांतरित राशी	270499.00	
अन्तिम शेष	**0.00**	**84.00**

BANK BAL AS ON 31.03.2023

BANK NAME	ACC.NO.	BAL
UCO Bank	12550110043165	84.00

Note:- an amount of ₹270499/- (Rupee Two Lakh Seventy Thousand four hundred and ninty nine only) transfer to SNA account of UCO Bank Shimla as per the direction of UD Shimla.

(ठ) Deposit Work रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
प्रारंभिक शेष	13873160.30	11052472.30
अनुदान से आय	443560.00	2100000.00
ब्याज	294237.00	787125.00
कुल राशि	14610957.30	13939597.30
व्यय	3558485.00	4934773.00
अन्तिम शेष	**11052472.30**	**9004824.30**

BANK BALANCE AS ON 31-03-2023

BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
SBI	11149814089	7647815.64
SBI	FDR	3048380.00
TOTAL		**10696195.64**

BRS OF DEPOSIT WORK			
Bal as per cash book as on 31.03.21			**9004824.30**
ADD			
interest credit by bank but not entered in cash book		25604	
interest on FDR credited by bank in O\D a/c but not entered in cash book			
Dated 10.08.15	15311		
dated 10.09.15	15363		
dated 10.10.15	15363		
dated 10.11.15	15363		
dated 10.12.15	15363		
dated10.01.16	15363		
dated10.02.16	15363		
dated10.03.16	15363		

dated10.04.16	15363		
dated10.05.16	15363		
dated10.06.16	15363		
dated10.07.16	15363		
dated10.08.16	15363		
dated10.09.16	15363		
dated10.10.16	15363		
dated10.11.16	15363		
dated10.12.16	15363		
dated10.01.17	15363		
dated10.02.17	12956		
dated10.03.17	12956	302394	
amount paid by bank ₹27002 instead of ₹ 27275 was booked in expenditure side of cash book vide ch.no 732213 dated 30.07.16(27275-27002)		273	
Amount of FDR deducted from cash book on dated 07/15 (to be add back)		2500000	
interest on FDR credited by bank in O\D a/c but not entered in cash book			
dated10.4.2017	12956		
dated 10.5.2017	12956		
dated 10.6.2017	12956		
dated 10.7.2017	12956		
dated 10.8.2017	12956		
dated 10.9.2017	12956		

dated 10.10.2017	3902		
dated 10.11.2017	11516		
dated 10.1.2018	11516		
dated 10.2.2018	11516		
dated 10.3.2018	11516		
dated 10.3.2018	11516		
dated 31.3.2018	0		
dated 10.4.2018	11516		
dated 10.5 .2018	11516		
dated 10.6.2018	11516		
dated 10.7.2018	11516		
dated 10.8.2018	11022		
dated 10.9.2018	11022		
dated 10.10.2018	11022	218348	3046619
LESS			
Grant recevied from DC chamba for deposit work but not deposited & entered in main Cash book and also entered in deposited work cash book			
Ch no 029344 dated 11.08.11	50000		
Ch no 301944 dated 30.08.11	90000		
Ch no 107944 dated 27.04.11	200000		
Ch no 029395 dated 07.05.12	300000		
Ch no 5636184 dated 06.06.12	80000		
Ch no 464685 dated 20.9.12	304000	1024000	
Amount withdrawn from bank (NEFT) on	10698		

dated 09.06.15 but not entered in cash book			
Bank charges debited by bank but not entered in cash book (MCC issue)	184		
Interest debited by bank in O/D A/Cbut not entered in cash book			
dated 15.07.15	114		
dated 31.07.15	204.21		
dated 31.08.15	3379.65		
dated 30.06.15	4381.99		
dated 31.10.15	4452.17		
dated 30.11.15	4231.11		
dated 31.12.15	4288.49		
dated 31.01.16	4206.03		
dated 29.02.16	3859.38		
dated 12.03.16 (keeping fee)	630		
dated 31.03.16	4040.55		
dated 30.04.16	3831.72		
dated 31.05.16	3882.18		
dated 30.06.16	3784.8		
dated 31.07.16	4131.25		
dated 31.08.16	7445.29		
dated 30.09.16	7338.92		
dated 31.10.16	7652.84		
dated 30.11.16	7354.62		
dated 31.12.16	7539.15		

dated 31.01.17	7480.87		
dated 28.02.17	6718.22		
dated 12.03.17(keeping fee)	632.5		
dated 31.03.17	7391.67	108971.61	
Amount withdrawn /transfer from SBI O/D a/c to SBI saving a/c 14089 on dated 22.07.15 which is entered in cash book income side as transfer entry but not entered in payment side of cash book as transfer entry		85000	
Differnce upto 31.03.15 (not reconciled)		337.64	
Interest debited by bank in O/D A/Cbut not entered in cash book			
Dated 30-04-2017	7115.79		
Dated 31-05-2017	7308.65		
Dated 30-06-2017	7033.20		
Dated 31-07-2017	7222.69		
Dated 31-08-2017	7180.00		
Dated 30-09-2017	6907.80		
Dated 31-10-2017	7139.92		
Dated 30-11-2017	6894.84		
Dated 31-12-2017	7089.43		
Dated 31-01-2018	7056.57		
Dated 28-02-2018	6346.12		
Dated 12-03-2018	649		
Dated 31-03-2018	6926.38		

Dated 30-04-2018	6116.70		
Dated 31-05-2018	6283.35		
Dated 30-06-2018	6047.19		
Dated 31-07-2018	6211.12		
Dated 31-08-2018	6177.58		
Dated 30-09-2018	5947.50		
Dated 20-10-2018	649.00		
Dated 20-10-2018	3753.58	126056.41	1355247.66
Bal as per pass book as on 31.03.23			**10696195.64**

(i) सावधि जमा निवेश की परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज ₹2.18 लाख की रोकड़ बही में गणना न करना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार सावधि जमा निवेश की परिक्वता पर निम्न विवरणानुसार प्राप्त ब्याज ₹218348 की गणना रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में नहीं की गई थी जोकि अनियमित है जिसका समाधान अब इस राशि के साथ–2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.15 से 31.3.17 तक के पैरा संख्या 4 (ख) (i) व 4 में दर्शाई गई ₹302394 व ₹25604 की प्रविष्टि सम्बन्धित रोकड़ बही में करके सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	**राशि (₹)**
10-4-2017	12956
10-5-2017	12956
10-6-2017	12956
10-7-2017	12956
10-8-2017	12956
10-9-2017	12956
10-10-2017	3902
10-11-2017	11516
10-1-2018	11516

10-2-2018	11516
10-3-2018	11516
10-3-2018	11516
31-3-2018	0
10-4-2018	11516
10-5-2018	11516
10-6-2018	11516
10-7-2018	11516
10-8-2018	11022
10-9-2018	11022
10-10-2018	11022
कुल योग	**₹218348**

(ii) अधिविकर्ष (overdraft limit) पर बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज ₹1.26 लाख की रोकड़ बही में गणना न करना

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार अधिविकर्ष पर बैंक द्वारा निम्न विवरणानुसार प्रभारित ब्याज ₹126056.41 की प्रविष्टि रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में नहीं की गई थी जोकि अनियमित है जिसका समाधान अब इस राशि के साथ–2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.15 से 31.03.17 तक के पैरा 4 (ख) (ii) में दर्शाई गई ₹108972 की प्रविष्टि सम्बन्धित रोकड़ बही में करके सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	राशि (₹)
30-04-2017	7115.79
31-05-2017	7308.65
30-06-2017	7033.20
31-07-2017	7222.69
31-08-2017	7180.00
30-09-2017	6907.80
31-10-2017	7139.92

30-11-2017	6894.84
31-12-2017	7089.43
31-01-2018	7056.57
28-02-2018	6346.12
12-03-2018	649
31-03-2018	6926.38
30-04-2018	6116.70
31-05-2018	6283.35
30-06-2018	6047.19
31-07-2018	6211.12
31-08-2018	6177.58
30-09-2018	5947.50
20-10-2018	649.00
20-10-2018	3753.58
कुल योग	**₹126056.41**

(iii) बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2011—12 व 2012—13 में जिलाधीश चम्बा से ₹1024000 की अनुदान राशि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त हुई थी परन्तु लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी यह राशि न तो उपयोग की गई थी और न ही निक्षेप कार्य (Deposit Work) रोकड़ बही में गणना में ली गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सम्बन्धित विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

(iv) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार भुगतान हेतु जारी चैक संख्याः 732213 दिनांक 30.7.16 =₹27275 के विरूद्ध बैंक द्वारा के 27002 का ही भुगतान किया गया था जोकि ₹273 से कम था। अतः इस प्रकरण में बैंक से वास्तविक भुगतान की पुष्टि करने के उपरान्त रोकड़ बही में यथानुसार सुधारात्मक प्रविष्टि करके अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(v) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार परिषद द्वारा माह 7/15 में सावधि जमा में निवेशित ₹2500000 को रोकड़ बही में व्यय मानकर बैंक शेष कम कर दिया गया था जोकि अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में रोकड़ बही में आवश्यक सुधारात्मक प्रविष्टि करके उक्त राशि को बैंक में जमा दर्शाकर अन्तिम शेष में गणना करना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार परिषद द्वारा दिनांक 9.6.15 को बैंक से ₹10698 आहरित किए गए थे जिसकी गणना रोकड़ बही में नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा ऐसी अवस्था में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण की गहन छानबीन करके वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(vii) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार बैंक द्वारा ₹184 Bank Charges debit किए गए थे जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(viii) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही व बैंक खाता के अन्तिम शेष में ₹337.64 का अन्तर था जिसका 31.3.19 परिषद द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ix) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार ₹85000 दिनांक 22.7.15 के SBI O/D खाते से SBI बचत खातो को हस्तांतरित की गई थी जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में नहीं की गई थी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड) SFC रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	**2021-2022**	**2022-2023**
प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
अनुदान से प्राप्त आय	0.00	43869827.00
ब्याज	0.00	566647.00
कुल जोड़	**0.00**	**44436474.00**
व्यय	0.00	3880208.00

हस्तांतरित राशि	0.00	28323665
अंतिम शेष	0.00	12232601.00

BANK BAL AS ON 31.03.2023

BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
HPSC	17910123405	12232601.00

(ढ)SBM (SNA) रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	**2021-2022**	**2022-2023**
प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
अनुदान से प्राप्त आय	0.00	3917766.00
ब्याज	0.00	0.00
कुल जोड़	0.00	3917766.00
व्यय	0.00	3676691.00
हस्तांतरित राशि	0.00	111465.00
अंतिम शेष	0.00	129610.00

BANK BAL AS ON 31.03.2023

BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
HDFC	50100458590676	0.00
	SNA	129610.00

(ण) Garbage usage charges रोकड़ बही

वितीय वर्ष	**2021-2022**	**2022-2023**
प्रारंभिक शेष	0.00	1125759.30
CLC निधि से हस्तांतरित	225796.00	0.00
ऑनलाइन आय प्राप्त	10000.00	472006.00

रसीदों से प्राप्त आय	1236362.00	1944880.00
ब्याज	6799.00	49932.00
कुल जोड़	**1478957.00**	**3592577.30**
व्यय	353197.70	1968869.50
अंतिम शेष	1125759.30	1623707.80

BANK BAL AS ON 31.03.2023

BANK NAME	ACC.NO.	BAL
HDFC	5010037705969	1623707.80

(त) Rehan Basera रोकड़ बही

वितीय वर्ष	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
प्रारंभिक शेष	0.00	3370.00	360156	375092.00
NULM से अनुदान प्राप्त	0.00	352179.00	0.00	352179.00
आय	3350.00	9150.00	12350.00	96500.00
ब्याज	20.00	1613.00	5417	10275.00
कुल जोड़	3370.00	366312.00	377923.00	834046.00
व्यय	0.00	6156.00	2831.00	382114.00
अंतिम शेष	3370.00	360156.00	375092.00	451932.00

वर्ष 2019-20 2020-21 की रोकड़ बही गत अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी ।

BANK BAL AS ON 31.03.2023

BANK NAME	ACC.NO.	BAL
HPSCB	17910122082	451932.00

(थ) NULM (SNA Child Account) रोकड़ बही

वितीय वर्ष	**2021-2022**	**2022-2023**
प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
अनुदान से प्राप्त आय	0.00	3840679.00
ब्याज	0.00	0.00
कुल जोड़	**0.00**	**3840679.00**
व्यय	0.00	207216.00
हस्तांतरित राशि	0.00	3625046.00
अंतिम शेष	0.00	8417.00

BANK BAL AS ON 31.03.2023

BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
	SNA Account	8417.00

5 निवेश :-

नगर परिषद चम्बा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाये गये विवरण के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक GPF, CPF निधि, मुख्य निधि और डिपॉजिट वर्क निधि से सावधि जमा योजना में ₹**7844268 /-** निवेशित है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग**" पर दिया गया है ।इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि GPF निधि से 2397944x 2 = ₹4795888/- सावधि जमा का रोकड़ बही में इन्द्राज नही किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर अर्जित ब्याज पर बैंक द्वारा स्त्रोतों पर कर की कटौती (TDS)करने के परिणामस्वरूप ₹0.53 लाख ब्याज की वित्तीय हानि बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज पर बैंक द्वारा स्त्रोतों पर कर कटौती (TDS) की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप नगर परिषद को ब्याज के रूप में ₹53150 /- की वित्तीय हानि हुई जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है :-

(i) Detail of FDR in r/o MC - Chamba (Deposit work fund)

A/C no	Date of Investment	Amount investment	Period	Date of Maturity	Interest receivable	Actual Interest Received	TDS
35063138528	10-07-21	2871863	1.5 year	10-01-23	220659	176517	44142

(ii) Detail of FDR in r/o MC - Chamba (GPF)

A/C no	Date of Investment	Amount investment	Period	Date of Maturity	Interest receivable	Actual Interest Received	TDS
3465618783	16-05-21	2240860	1.5 year	16-11-22	161588	157084	4504

(iii) Detail of FDR in r/o MC - Chamba (GPF)

A/C no	Date of Investment	Amount investment	Period	Date of Maturity	Interest receivable	Actual Interest Received	TDS
3456518896	16-05-21	2240860	1.5 year	16-11-22	161588	157084	4504
				Grand Total (i+ii+iii)			**53150**

स्थानीय निकायों की आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अंतर्गत छूट (exempt) प्राप्त है उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 45 दिनांक 24.05.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को अवगत करवाया व उनके प्रतिउत्तर संख्या 662 दिनांक

24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक से उठाया जाएगा व नियमानुसार स्त्रोतों पर कर की कटौती (TDS) 53150 की वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाएगा । अत: उक्त पर शीघ्र कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 (क) स्व स्त्रोत :-

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत आय व्यय जाँच में पाया गया कि स्व : स्त्रोत से सम्बन्धित गत अन्त शेष अंकेक्षण को नहीं दर्शाया गया है व जिसके लिए संस्था द्वारा कोई भी बैंक खाता अलग से नहीं रखा गया था। अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए स्व स्त्रोत से सम्बन्धित आय व व्यय का व्योरा तो तैयार किया गया परन्तु आरम्भिक शेष के अभाव में स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं कि जा सकी । अत: स्व: स्त्रोत से सम्बन्धित अलग से बैंक खाता लगाया जाए व भविष्य में इसकी पृथक वित्तीय स्थिति का रख रखा व किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान :-

नगर परिषद चम्बा की अंकेक्षणाधीन अवधि 04/ 21 से 03/23 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तशेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अनुदान प्राप्त	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	112371713.80	78393962.00	190765675.80	84069903.00	106695772.80
2022-23	106695772.80	117413190.00	224108962.80	108957267.00	115151695.80

(ग) अनुदान ₹1151.52 लाख के उपयोग हेतु शेष:-

विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से **परिशिष्ट –घ** दिनांक 31-03- 23को ₹115151695.80 अनुपयुक्त पड़ी थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अत: अनुपयोग इन अनुदान राशियों को निश्चित अवधि में उपयोग किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोगी राशियों को सक्षम अधिकारी की

स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्यों जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी, व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित विभाग को किया जाये एवं कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(घ) नगर परिषद के गत तीन वर्षों अर्थात 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के आय-व्यय का विवरण निम्नलिखित है परिषद द्वारा गत दो वर्ष 20 22-23 में आय की बढौत्तरी हेतु सन्तोषजनक प्रयास नहीं किए गए है। इसके अतिरिक्त गत वर्षों में व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है जोकि अति गंभीर मामला है व मामला निदेशक, शहरी विकास विभाग के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है । अत: यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आय की बढौत्तरी व बकाया करों की वसूली हेतु विशेष/ठोस प्रयास किए जाएँ :-

वर्ष	स्व:स्त्रोत से आय	प्राप्त अनुदान	व्यय
2020-21	4531707.00	103496899.00	74499902.00
2021-22	19828043.00	78393962.00	99669780.00
2022-23	15670771.00	117413190.00	111313425.00

(ड.) नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत अनुदान से सम्बन्धित सूचना की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार नगर परिषद को अनुदान गत पूर्व वर्षो में प्राप्त हुई है परन्तु वर्तमान अंकेक्षण तक इन राशियों में से या आशिंक रूप से व्यय की गई है या तो व्यय ही नहीं कि गई है। **परिशिष्ट- ड०** के अनुसार दिनांक 31.03.23 को ₹58177672.80 की राशि गत वर्षों से सम्बन्धित अव्ययित अनुदान (previous year unspent grants) के रूप में शेष है स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित थी। अत: अनुपयोग इन अनुदान राशियों को निश्चित अवधि में उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोगी राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्यों जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी, व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित विभाग को किया जाये एवं कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(च) ₹705.65 लाख अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जारी न करना:-

अंकेक्षण को अनुदान से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान दो वर्षो में अनुदानों में से ₹193027270/- का व्यय दर्शाया गया है। अंकेक्षण को प्रस्तुत **परिशिष्ट-** की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-23 तक अनुदानों के व्यय/ हस्तांतरण से सम्बन्धित **₹134381789** के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गए है इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में जारी ₹**58645481** के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जो कि अनियमित है अत: उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को शीघ्र अति शीघ्र सम्बन्धित विभाग को जारी करना व समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

sr. no.	**Name of Head**	**Expenditure made during the year**	**Amount of UC Sent during the year**	**Amount of UC not sent during the year**
1.	**2021-22** 14&15FC,DC,Development, VKVNY,SDRF,SDP,PMA, ULB,GIS,COVID, PARKING, SEWRAGE	84069903.00	**20253405**	**63816498**
2.	**2022-23** 14&15FC,DC,Development, VKVNY,SDRF,SDP,PMA, ULB,GIS, COVID, PARKING, SEWRAGE	108957267.00	**38392076**	**70565191**
	TOTAL	193027170	**58645481**	**134381689**

7 गृहकर :-

(क) गृहकर की बकाया ₹311.17 लाख वसूली हेतु शेषः–

नगर परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहां की जनता की सुविधाओं के लिए व्यय किया जाता है परन्तु नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.23 तक **परिशिष्ट "छ"** में वर्णित विवरणानुसार ₹31116928 गृहकर के रूप में वसूल करना शेष था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित बकाया गृहकर की प्राथमिकता के आधार पर

शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) 32 गृह कर दाताओं से ₹23.75 लाख वसूली हेतु शेष :-

जाँच में पाया गया कि कुल बकाया गृहकर से ₹2375119/- केवल 32 करदाताओं से बकाया थी जिसका विवरण **परिशिष्ट-छ-1** पर दिया गया है। अर्थात कुल बकाया गृहकर का 62% लगभग इन्हीं करदाताओं से बकाया थी जबकि नगर परिषद द्वारा इन करदाताओं को सभी मूलभूत सुविधाएँ समय-2 पर उपलब्ध करवाई जा रही है। अत: नियमानुसार इन करदाताओं से गृहकर की वसूली हेतु उचित कदम उठाना सुनिश्चित करें एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

8 दुकानों से आय:-

दिनांक 31-03-23 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹48.77 लाख की वसूली न करना :-

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों /खोखो इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर दिया गया है तथा इनका किराया परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-ज** में दिया गया है, के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक किराये के रूप में ₹4876763 /- वसूली हेतु लम्बित थी जबकि निदेशक ,शहरी विकास विभाग के पत्र सं :-यू०एल० बी० .एच० ए० 9(7)-1/87-9237/9284 दिनांक 20-06-01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी,नगर परिषद चम्बा द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जिससे किराये की बकाया राशि में हर वर्ष बढौत्तरी हो रही है जोकि चिन्ताजनक विषय है। इसके अतिरिक्त दुकानदारो से अनुबन्ध भी नही किए गए है अत: परामर्श दिया जाता है कि दुकानदारो से शीघ्र से शीघ्र अनुबन्ध किए जाए व राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ। वसूली योग्य कुल राशि में से ₹2202402 /- केवल 22 दुकानदारों से वसूलना शेष थी जिनका विवरण **परिशिष्ट –ज-1** पर दिया गया है।

9 दिनांक 31.03.23 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस के रूप में ₹2.46 लाख वसूली हेतु शेष -:

मोबाइल टावरों के रजिस्टर की जांच में पाया कि दिनांक 31.03.23 को विभिन्न मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क के रूप में **₹246412.00** वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

S.NO.	Year of installation	Company	Opening bal	Demand 21-22	Demand 22-23	Total	Collection	Closing Bal
1	2009	BSNL 2	69910.00	15625.00	15625.00	101160.00	56250.00	44910.00
2	2009	AIRCELL 1	60626.00	7813.00	7813.00	76252.00	0.00	76252.00
3	2009	VODAPHONE2	37750.00	15625.00	15625.00	69000.00	0.00	69000.00
4.	Dec 2014	Relaince JIO1.	0	9375.00	9375.00	18750.00	18750.00	0
5	Feb-16	TricONA 1	26250.00	6250.00	6250.00	38750.00	0.00	38750.00
6	april 2016	Reliance JIO	0.00	9375.00	9375.00	18750.00	18750.00	0 .00
7.	2016	Airtel(1)	5000.00	6250.00	6250 .00	17500 .00	0	17500
	TOTAL		**199536**	**70313.00**	**70313.00**	**340162**	**93750.00**	**246412.00**

उपरोक्त बकाया शुल्क का **परिशिष्ट "झ"** पर विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है ।अत: उक्त बकाया राशि **₹246412.00**/- की वसूली अतिशीघ्र की जाए तथा अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए ।

10 रोकड़ बही को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों की रोकड़ बहियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 17 .04.23 व 79 दिनांक 09.06.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउतर संख्या 677 दिनाकं 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त आपति पर उचित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा अत: उक्त रोकड़ बहियों को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उन्हें सक्षम प्राधिकारियों से सत्यापित करवाकर अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम सं	रोकड़ बही का नाम	अवधि
1.	मुख्य निधि	05.05.22 से 31.03.2023
2.	CLC निधि	01.04.21 से 31.07.2022
3.	DEPOSIT WORK निधि	01.04.21 से 31.03.2023
4.	IDSMT निधि	01.04.21 से 31.03.2023
5.	SWM निधि	01.04.21 से 31.03.2023
6.	PMAY निधि	01.04.21 से 31.03.2023
7.	PENSION निधि	01.04.21 से 31.03.2023
8.	NRY निधि	01.04.21 से 31.03.2023
9.	GRATUITY निधि	01.04.21 से 31.03.2023
10.	CPF निधि	01.04.21 से 31.03.2023
11.	GPF निधि	01.04.21 से 31.03.2023
12.	Garbage निधि	01.04.21 से 31.07.2022
13	रेहन वसेरा निधि	01.04.21 से 31.07.2022

उक्त अनियमता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 332 दिनांक 23 .11.21 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउतर संख्या 2996 दिनाकं 07.01.22 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त आपति पर उचित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा अत: उक्त रोकड़ बहियों को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण सुझावानुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

11 . पार्किंग स्थल की नीलामी की बकाया ₹12.51 लाख की वसूली न करना :-

(i) राजीव गाँधी परिसर :-

इस पार्किन स्थल की नीलामी वर्ष 2014-15 में ₹138863/- में मै० नारंग एन्ड कम्पनी धडोग मुहल्ला को की गई थी। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि करके ठेके पर दिया गया था मै० नारंग एंड कम्पनी द्वारा दिनांक 31.07.21तक पार्किंग को ठेके पर रखा इस प्रकार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03- 23 तक ₹1250535/- की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है **:-**

वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि**	**कुल योग**	**प्राप्त राशि**	**बकाया राशि**
2019-20	526908	279303	806211	0	806211
2020-21	806211	321198	1127409	0	1127409
01.04.21 से 31.07.21	1127409	369378x 4/12 =123126	1250535	0	1250535

अंकेक्षण में पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा परिषद द्वारा भी ठेकेदार से वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे है। अत: यथाशीघ्र बकाया राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अवधि 08/21 से 07/22 तक उक्त पार्किंग को एक साल हेतु श्री शिव कुमार सपुत्र श्री कमलजीत को ₹405000 /- आवंटित किया गया जिसके पश्चात टेंडर रद्द होने के कारण उनको माह 01/23 तक ठेके की अवधि बढाई गई जिनसे दिनांक 31.01.23 कोई भी राशि देय नहीं थी । माह 02/23 से 31.03.23 तक नगर परिषद द्वारा स्वयं रख रखाब करते हुए वाहन पार्किंग की वसूली स्वयं की जा रही है।

(ii) पार्किंग स्थल चौगान न०-3

दिनांक 31-03- 23 तक उक्त पार्किंग की वसूली का विवरण निम्न प्रकार से है जिसकी यथाशीघ्र वसूली की जानी सुनश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि	कुल योग	प्राप्त राशि	बकाया	ठेकेदार का नाम
2021-22	329	---	329	----	329	समीर शेख
2022-23	329	---	329	----	329	यथोपरि

उक्त पार्किंग स्थल चौगान न०-3 को केस न० CMP 8172/2016 व 8173/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18-07-17 को पारित आदेशानुसार चौगान में व्यवसायिक गतिविधियाँ बंद कर दी गई है।

(iii) मिनी सचिवालय परिसर :-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 15-09- 22 तक इस पार्किंग स्थल की नीलामी नहीं की गई थी और न ही परिषद द्वारा इस परिसर की कोई पार्किंग फीस ही वसूल की जा रही थी और गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या :11(iii) के अनुसार वर्ष 2016-17 की बकाया ₹32000 भी वसूली हेतु शेष थी। अत: उक्त पार्किंग स्थल को अवधि 01-04-12 से 15-09- 22 तक ठेके पर न देने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वर्णित पार्किंग स्थल का नियमानुसार उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर परिषद के अपने स्त्रोतों से आय में वृद्धि के साथ-2 वित्तीय स्थिति सद्दढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु भी नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) श्री कँवलजीत सपुत्र स्वर्गीय श्री चंद प्रो० मै० सिटी स्टाइल कलेक्शन को आवंटित मिनी सचिवालय की पार्किंग जमा करवाए गए चेक संख्या:853704 दिनांक 08.12.22 ₹3.00 लाख को नगर परिषद निधि में जमा न करना

मिनी सचिवालय की पार्किंग से सम्बन्धित टेंडर संख्या:MCC/2022-E-tendring-4843 -52 दिनांक 04.06.22 की जाँच करने पर पाया उक्त प्रक्रिया को दिनांक 21.06.22 को पूरा करके

दिनांक 02.09.22 को श्री कँवलजीत सपुत्र स्वर्गीय श्री चंद प्रो० मै० सिटी स्टाइल कलेक्शन से अनुबंध करके अवधि 16.09.22 से 15.09.23 तक उक्त पार्किंग स्थल ऑनलाइन दर ₹613000+18%GST+2%income tax=₹735600/- पर आवंटित की गई। इस पार्किंग हेतु तय शर्त संख्या 5 अनुसार निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने पर उक्त सम्पूर्ण राशी को सम्बन्धित द्वारा एकमुश्त सभी कर सहित 48 घंटे के भीतर परिषद निधि में जमा करवाना अपेक्षित था सविंदाकार द्वारा तीन चैक संख्या 853702 दिनांक 08.07.22 **₹313000,** 853703 दिनांक 07.07.22 ₹122600, 853704 दिनांक 08.12.2022 ₹300000 अग्रिम रूप से नगर परिषद कार्यालय में जमा करवाए प्रथम दो चै क को G8-30 संख्या 25/30 व 25/31दिनांक 14.0 7.22 के अनुसार क्रमशः ₹122600+₹313000 =₹435600 नगर परिषद के बचत खाते संख्या जमा करवाए गए जिसकी जमा कि पुष्टि भी अंकेक्षण द्वारा की गई है

जबकि तीसरे चैक संख्या: 853704 दिनांक 08.12.2022 **₹300000** को नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया है उक्त सविंदाकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.12.22 (सलग्न) द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अनुबंध की निम्न शर्तों को पूरा न करने पर उक्त चैक को क्लेअर न करने हेतु निम्न शर्तों पर अनुरोध किया गया। परन्तु अंकेक्षण द्वारा अनुबंध की शर्तों व अन्य टेंडर की शर्तों की जाँच में पाया गया कि निम्न किसी भी शर्त का उल्लेख अनुबंध में नहीं किया गया था फिर भी नगर परिषद द्वारा उक्त चैक संख्या 853704 दिनांक 08.12.2022 ₹300000 को नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया व परिणामस्वरूप उक्त चैक कालातीत हो गया जोकि एक अति गम्भीर वित्तीय मामला है। उक्त से पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि ठेकेदार को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाया गया है ।

सविंदाकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.12.22 अनुसार की गई मांगे :-

(1)इस पार्किंग में रेलिंग लगा कर नहीं दी गई ।

(2)चौकीदार को कमरा बना कर नहीं दिया गया ।

(3) NO पार्किंग का बोर्ड बना कर नहीं दिया गया ।

(4)शौचालय का निर्माण नहीं किया गया ।

(5)जब पार्किग स्थल लिया गया था तो सफाई नहीं की थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58 दिनांक 01.06.23 व 79 दिनांक 09.06.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या :646 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण

को अवगत करवया गया कि उक्त बकाया राशि को सम्बन्धित से वसूल कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: बकाया राशी को उचित स्त्रोत से वसूल कर नगर परिषद निधि में जमा किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

12 रैहन बसेरे के किराए की बकाया ₹1.58 लाख की ठेकेदार से वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.23 को निम्न विवरणानुसार ₹157994 रैहन बसेरे के किराये की बकाया वसूली हेतु शेष थीः–

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)	ठेकेदार का नाम
					167994	श्री रविन्द्र सिंह ₹157994 + श्री शिव कुमार ₹10000 (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/15 से 3/17 के पैरा संख्याः 12 के अनुसार)
2017&18	167994	0	167994	10000	157994	श्री रविन्द्र सिंह
2018&19	157994	0	157994	0	157994	–यथोपरि–
2019- 20	157994	0	157994	0	157994	–यथोपरि–
2020-21	157994	0	157994	0	157994	–यथोपरि–
2021-22	157994	0	157994	0	157994	–यथोपरि–
2022 -23	157994	0	157994	0	157994	–यथोपरि–

इसके अतिरिक्त उक्त रैहन बसेरे को वर्ष 01.04.17 से 31.11.21 तक किराये पर नहीं दिया गया था जिस का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए। अतः सम्बन्धित ठेकेदार से उक्त बकाया राशि की वसूली तुरन्त करने हेतु नियमानुसार उचित पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि नगर परिषद को स्वः स्त्रोतों से आय में वृद्धि होने पर वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके तथा कृत

कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। माह 12/21 से नगर परिषद द्वारा रेहन वसेरे का रख रखाव व आय की वसूली स्वयं की जा रही है।

(ख) रेहन वसेरा में अतिथियों से वसूले शुल्क को विलम्ब से जमा करना ।

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार रेहन वसेरा में अथितियों के ठहराव हेतु वसूले शुल्क को सम्बन्धित व कार्यालय दोनों द्वारा विलम्ब से प्राप्त कर जमा किया गया है जो की अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :42 दिनांक 19.05.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अवगत करवया गया परन्तु कोई उत्तर नहीं दिया गया अत: निय मानुसार कार्यवाही करते हुए रेहन वसेरे से प्राप्त आय को समय पर जमा करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवया जाए।

क्रम संख्या	अवधि	एकत्रित राशी	कार्यालय में जमा की दिनांक	खाते में जमा की दिनांक
1.	12.01.22 से 18.01.22	1300	20.01.22	28.01.22
2.	30.03.22से 21.04.22	3900	20.04.22	21.04.22
3.	22.04.22 से 10.06.22	4800	10.06.22	15.06.22
4.	11.06.22 से 30.06.22	4200	30.06.22	30.06.22
5.	01.07.22 से25.07.22	10200	26.07.22	27.07.22
6.	26.07.22 से 15.08.22	17500	17.08.22	18.08.22
7.	16.08.22 से 30.08.22	12000	31.08.22	01.09.22
8.	31.08.22 से 22.09.22	11500	23.09.22	23.09.22
9.	23.09.22 से 21.11.22	15000	02.12.22	02.12.22
10.	22.11.22 से 02.12.22	5000	19.12.22	22.12.22
11.	03.12.22 से 16.01.23	12200	06.03.23	06.03.23
12.	17.01.23 से 16.02.23	11500	18.03.23	19.04.23
13.	17.02.23 से 09.03.23	8200	18.05.23	18.05.23

13 . विश्राम गृह/जंजघर किराया से आय

(क) विश्राम गृह के किराये की बकाया ₹8.95 लाख की ठेकेदार से वसूली न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि विश्राम गृह की नीलामी करके ठेके पर आबंटित किया गया था व दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार बकाया ₹894919 वसूली हेतु शेष थाः–

वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)	ठेकेदार का नाम
		गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/15 से 3/17 के पैरा संख्याः 13 के अनुसार शेष			894919	मै0 डी0 के एंड कम्पनी
2021 & 22	0	0	0	0	0	आबंटित नहीं किया
2022 & 23	0	0	0	0	0	आबंटित नहीं किया
			कुल बकाया राशि		**₹894919**	मै0 डी0के0 एंड कम्पनी

चूंकि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से नीलामी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था जबकि उसका ठेका दिनांक 31.03.16 को समाप्त हो गया था इसलिए बकाया ₹894919 की वसूली हेतु नियमानुसार उचित पग उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त **विश्राम गृह** को वर्ष 01.04.20 से 31.03.23 तक किराये पर नहीं दिया गया था जिस का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए व अब इस **विश्राम गृह** का उचित उपयोग करने के साथ–2 सम्बन्धित ठेकेदार से उक्त बकाया राशि की वसूली तुरन्त करने हेतु नियमानुसार उचित पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए। ताकि नगर परिषद को स्वः स्त्रोतों से आय में वृद्धि होने पर वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14 जन्साली वार्ड नजदीक टी.बी.हॉस्पिटल पार्किंग पर ₹38.10 लाख का अनुपयोगी व्यय (wasteful exp) करना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि जन्साली वार्ड नजदीक टी.बी.हॉस्पिटल पार्किंग निर्माण पर अवधि 07/13 से 03/23 तक ₹3810095/- का व्यय किया गया है परन्तु इस पार्किंग का कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा है व न ही कोई आय अर्जित की जा रही है जिस कारण उक्त पार्किंग पर किया गया व्यय अनुपयोगी व्यय किया गया प्रतीत होता है जोकि अतिगंभीर वित्तीय मामला है मामला निदेशक शहरी विकास विभाग के ध्यान में आवश्यक जाँच हेतु लाया जाता है । अत: उक्त बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 73 दिनांक 08.06.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को अवगत करवाया गया व उनके प्रति उत्तर संख्या: 667 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नगर परिषद की साधारण बैठक में इस बारे चर्चा की गई है पार्किंग में दुकाने बनाने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और दुकाने बनाने के बाद सारी औपचारिकता पूरी करने के उपरान्त नीलामी कर दी जाएगी व नीलामी द्वारा उक्त पार्किंग पर हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी। उक्त मामले पर नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 तह बाजारी शुल्क ₹9.85 लाख की कम वसूली करना :-

तहबाजारी मांग व प्राप्ति रजिस्टर व नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹985156 तहबाजारी शुल्क की कम वसूली की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है:—

वर्ष	संख्या	माह	दर प्रति माह	आ.शेष	मांग	जोड़	प्राप्ति	अन्त शेष
2021-22	92	12	600	517156	662400	1179556	460800	718756
2022-23	92	12	600	718756	662400	1381156	396000	985156

अतः उक्त अवधि में ₹985156 की कम वसूल राशि का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित बकाया राशि के साथ—2 वर्ष 2011—12 की बकाया राशि ₹32000 एवं वर्ष 2012—13 की बकाया ₹41300 तथा 2013—14 व 2014—15 की बकाया ₹54050 की भी सम्बन्धित उचित स्त्रोत से शीघ्र वसूली करके नगर परिषद निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16 under buy -back policy N on- recycleable and single use plastic waste को एकत्रीकरण हेतु भुगतान की गई ₹0.54 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति न करना

पर्यावरण विज्ञान प्रद्यौगिक विभाग कि अधिसूचना सं . STF –F(4)-1/2017 दिनांक 01.10.2019 के अनुसार under buy -back policy N on- recycleable and single use plastic waste, plastic bag from Rag pickers & house hold से एकत्रित करने हेतु ₹75/- प्रति किलोग्राम की दर से नगर परिषद द्वारा भुगतान करना था व जिसकी प्रतिपूर्ति शहरी विकास विभाग से से की जानी अपेक्षित थी। इस सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अवधि 28.12.19 से 09.11.22 तक के दौरान तक ₹720.900 किलोग्राम plastic waste खरीद करके परवाणु भेजा गया इस प्रकार 720.900x ₹75 =₹54068 की प्रतिपूर्ति शहरी विकास विभाग से की जानी अपेक्षित थी जोकि नहीं की गई। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 16 दिनांक 17.04.23 व 79 दिनांक 09.06.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को अवगत करवाया व उनके प्रतिउत्तर संख्या: 657 दिनाक 24.06.23 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त में से 14325 की राशि की प्रतिपूर्ति दिनांक 28.08.20 को कर ली गई है जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है व बकाया 39743 की प्रतिपूर्ति हेतु निदेशक शहरी विकास से अनुरोध किया गया है तथा जब भी बकाया राशि प्राप्त होगी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: बकाया राशि की प्रतिपूर्ति शीघ्र अति शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 (क) जवाहर लाल मेडिकल कालेज चम्बा,हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के होटल इरावती व चम्पक चम्बा से अनुचित रूप से डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण यूजर चार्जेज के रूप में ₹1.99 लाख को नगर परिषद निधि में जमा न कर दुरूपयोग/ गबन करना

नगर परिषद चम्बा के अंकेक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज चम्बा से डोर से डोर घर द्वार कूड़े को उठाने के लिए वसूले यूजर्स चार्जेज से सम्बन्धित संचिका एवं अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज चम्बा से ₹148000/- व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के होटल इरावती से ₹42000 व होटल चम्पक से ₹9000/-निम्नलिखित विवरणानुसार कुल

(148000+42000+9000)₹199000 सफाई व डोर टू डोर (घर द्वार) कूड़ा एकत्रीकर ण कार्य के ठेकेदार द्वारा वसूले गए थे परन्तु उक्त राशियाँ नगर परिषद के खाते में जमा नहीं पाई गई।

(i)जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज चम्बा

क्रम संख्या	रसीद संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1.	2702	NILL	24000
2.	2714	03.10.20	8000
3.	2402	02.09.20	12000
4.	919	07.11.20	16000
5.	920	24.12.20	16000
6.	921	06.01.21	16000
7.	922	05.02.21	8000
8.	2440	05.04.21	8000
9.	2740	05.05.21	16000
10.	2483	07.06.21	24000
		कुल जोड़	**148000**

(ii)हि.प्र. पर्यटन विकास होटल "इरावती" चम्बा

Detail of Hotel Iravati of Door to Door Garbage Collection of Year 2019-22				
Sr. No.	**Name of Hotel**	**Bill No.**	**Date**	**Amount**
1	Iravati	15	03-04-2019	1200
2	Iravati	16	06-05-2019	1200
3	Iravati	Nil	01-06-2019	1200
4	Iravati	Nil	24-07-2019	1200
5	Iravati	Nil	03-08-2019	1200

6	Iravati	20	03-09-2019	1200
7	Iravati	21	03-10-2019	1200
8	Iravati	22	04-11-2019	1200
9	Iravati	24	03-01-2020	1200
10	Iravati	Nil	03-02-2020	1200
11	Iravati	26	02-03-2020	1200
12	Iravati	27	06-04-2023	1200
13	Iravati	28	05-05-2020	1200
14	Iravati	Nil	04-07-2020	1200
15	Iravati	31	04-08-2020	1200
16	Iravati	32	02-09-2020	1200
17	Iravati	35	02-12-2020	1200
18	Iravati	39	01-01-2021	1200
19	Iravati	Nil	01-02-2021	1200
20	Iravati	47	06-03-2021	1200
21	Iravati	50	04-04-2021	1200
22	Iravati	53	03-05-2021	1200
23	Iravati	56	01-06-2021	1200
24	Iravati	58	03-07-2021	1200
25	Iravati	61	03-08-2021	2400
26	Iravati	67	04-10-2021	1200
27	Iravati	73	06-11-2021	1200
28	Iravati	76	02-12-2021	1200
29	Iravati	79	03-01-2022	1200
30	Iravati	83	04-02-2022	1200
31	Iravati	87	04-03-2022	1200
32	Iravati	89	07-04-2022	1200
33	Iravati	93	04-05-2022	1200
34	Iravati	95	06-06-2022	1200
Total				**42000**

(iii)हि.प्र. पर्यटन विकास होटल "चम्पक"चम्बा

Detail of Hotel Champak of Door to Door Garbage Collection of Year 2021-22				
Sr. No.	**Name of Hotel**	**Bill No.**	**Date**	**Amount**
1	Champak	48	06-03-2021	600
2	Champak	51	04-04-2021	600
3	Champak	54	03-05-2021	600
4	Champak	57	01-06-2021	600
5	Champak	59	03-07-2021	600
6	Champak	62	03-08-2021	600
7	Champak	68	04-10-2021	600
8	Champak	74	06-11-2021	600
9	Champak	77	02-12-2021	600
10	Champak	80	03-01-2022	600
11	Champak	84	04-02-2022	600
12	Champak	88	04-03-2022	600
13	Champak	90	07-04-2022	600
14	Champak	94	04-05-2022	600
15	Champak	96	06-06-2022	600
			Total	**₹9000**

इसके अतिरिक्त रसीद संख्या 2401,2403 से 2439,2441 से 2482,2484 से 2500 तक 2701,2703 से 2739 व 2741 से 2800 तक 901 से 918, 923 से 1000 तक का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त मामले अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21 दिनांक 28.04.23 व 23 दिनांक 06.05.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में विभागीय जाँच व आवश्यक कार्यवाही हेतु व

इसके अतिरिक्त उक्त गम्भीर मामले बारे अग्रिम रूप में निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पत्र संख्या: V(39)/2010-फिन (एल०ए०) खण्ड-7-5067-68 दिनांक 07.06.23 द्वारा निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि०प्र० शिमला- 171002 को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत करवाया गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के प्रतिउत्तर संख्या : 643 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि में से ₹99500/- की राशि की कटौती सम्बन्धित ठेकेदार से वाउचर संख्या : शून्य दिनांक 14.06.23 द्वारा कर ली गई है बकाया राशि की वसूली सफाई के बिल से कर ली जाएगी बकाया राशि की वसूली व अन्य अनियमितता ओं बारे अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अंकेक्षण द्वारा ₹99500 /- की वसूली की पुष्टि कर ली गई है । अत: बकाया राशि की वसूली शीघ्र अतिशीघ्र करके व इस पूर्ण मामले पर नियमानुसार कार्यवाही करके आन्तरिक जाँच प्रणाली को सदृढ़ करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

(ख) डोर टू डोर (घर द्वार) कूड़ा एकत्रीकरण हेतु यूजर चार्जेज के रूप में ₹70.15 लाख कम वसूलने के परिणाम स्वरूप नगर परिषद को हानि

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2018 में हुए सर्वेक्षण अनुसार नगर परिषद अधिसूचित क्षेत्र में निम्न विवरणानुसार मकान, दुकान, होटल व ढाबे की संख्या निम्न प्रकार से थी अंकेक्षण के दौरान जाँच में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 04/21 से 31.03.23 तक स्वय सहायता समूह द्वारा डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण यूजर चार्जेज के रूप में ₹3956028/- वसूले गए है जबकि निम्नलिखित विवरणानुसार स्वय सहायता समूहों द्वारा ₹10970880/- की राशि उक्त अवधि में वसूली जानी अपेक्षित थी जबकि निम्नानुसार ₹7014852/- कम वसूले गए है जोकि गंभीर मामला है।

विवरण	**संख्या**	**प्रति माह दर**	**वसूली योग्य राशि**
मकान	5068	50	253400
दुकान	2099	80	167920
होटल	26	1000	26000
ढाबा	28	350	9800
		जोड़	**457120**
		457120 x 24	**10970880**

		अंकेक्षण अवधि में वसूली राशि	**3956028**
		कुल कम वसूली राशि	**7014852**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं: 18 दिनांक 25.05.23 द्वारा नगर परिषद को अवगत करवाया गया व नगर परिषद के प्रतिउत्तर सं: 641 दिनांक 23.06.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि नगर परिषद चम्बा के ठेकेदारों द्वारा केवल 2306 घरों, 275 व्यवसायिक प्रतिष्ठान, 10 होटल व 17 ढाबो से कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है व बाकि के घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को कबर नहीं किया जा रहा है इस लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा यूजर चार्जेज में वृद्धि नहीं की जा रही है । उत्तर सन्तोषजनक नही है क्योंकि यदि पुरे घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को कबर नहीं किया जा रहा है तो ठेकेदारों को पूरा भुगतान क्यों किया जा रहा है मामला शहरी विकास के उच्च अधिकारीयों के ध्यान में विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है उक्त मामले की विभागीय जाँच करने उपरांत उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) डोर टू डोर यूजर्स चार्जेज से सम्बन्धित रसीदों को खाली रखना

अंकेक्षण के दौरान डोर टू डोर यूजर्स चार्जेज से सम्बन्धित रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित रसीद बुकों को खाली रखा गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	बुक संख्या	खाली छोड़ी गयी रसीद बुक की क्रमांक संख्या
	2020- 2021	
1	74	2401-2500
2	81	4671-4700
3	82	5566-5600
4	83	4764-4800
5	84	4868-4900
6	86	4971-5000

7	92	1667-1770
8	104	1878-1900
9	108	1060-1100
10	111	3692-3700
11	116	3990-4000
2022-2023		
12	629	52934-53000
13	630	53072-53100
14	633	53374-53400
15	634	53432-53500
16	637	53758-53800
17	638	53858-53900
18	639	53978-54000
19	641	54135-54200
20	642	54275-54300
21	643	54374-54400
22	644	54493-54500
23	646	54686-54700
24	655	55533-55600
25	657	55715-55800
26	659	55997-56000

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं: 46 दिनांक 24.05.23 द्वारा नगर परिषद को अवगत करवाया गया व नगर परिषद के प्रतिउत्तर सं: 428 दिनांक 25.05.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाली पड़ी रसीद बुकों का दुबारा प्रयोग कर लिया जायेगा । इस प्रकार के मामलों में किसी भी वित्तीय अनियमितता/दुर्विनियोजन अथवा गबन की सम्भावना बनी रहती है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि अगली रसीद बुक तभी जारी की जाए जब पूर्व में जारी रसीद बुक की

पूर्ण रसीदें प्रयोग में लाई जा चुकी हों। एक बार में इतनी अधिक रसीद बुकें प्रयोग में लाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व खाली पाई गई रसीदों के सन्दर्भ में भी औचित्य स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण सुझावानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अत: अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 पारित नक्सो की फीस वसूली से सम्बन्धित अभिलेख न प्रस्तुत करना

अंकेक्षण द्वारा बार -2 मौखिक रूप से अनुरोध करने पर भी वर्ष 2021 -22 व 2022-23 में पारित नक्सो व उनसे वसूली फीस / कंपाउंड फीस इत्यादि का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आभाव में वसूली फीस/ कंपाउंड फीस कि सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या :81 दिनांक 17.06.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा को अवगत कर वाया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या : 654 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत कर वाया गया कि वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उत्तर असन्तोषजनक है । अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना, नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा ऐसे में किसी भी वित्तीय अनियमितता को नकारा नहीं जा सकता है। अत: उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही करना व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 सफाई से सम्बन्धित ठेकेदार को GST के रूप में ₹25.42 लाख अनियमित भुगतान

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या:12/2017-केन्द्रीय कर(दर)दिनांक 28.06.17 के अनुसार सफाई के कार्य पर वस्तु एवं सेवाकर की छुट प्राप्त है। परन्तु जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार ठेकेदार को ₹2524311/- का GST के रूप में भुगतान किया गया है जोकि अनियमित था।

	श्री अविनाश चन्द्र			**श्री लोकिन्दर कुमार**		
क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**दिनांक**	**GST**	**वाउचर संख्या**	**दिनांक**	**GST**
1.	160/10/26,27	06.08.21	142463	280/80/53	24.08.21	93316

2.	230/80/26	04.09.21	153965	280/80/39	16.09.21	98698
3.	230/80	11.10.21	157175	230/50	19.10.21	98270
4.	230/80/01	02.11.21	155735	230/80/01	02.11.21	98566
5.	230/50/17	07.02.21	156937	230/50/22	03.12.21	98460
6.	230/80/01	07.01.22	149125	230/80/01	20.01.22	98462
7.	230/80/01	03.02.22	157175	230/80/	05.02.22	98698
8.	230/50	10.03.22	156842	230/50	11.03.22	98678
9.	09/06	16.04.22	157175	04/05	16.04.22	98698
10	05/06	12.05.22	157175	05/07	02.05.22	98698
			1543767		**+**	**980544**
					कुल जोड़	**2524311**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं: 47 दिनांक 25.05.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अवगत करवाया गया व नगर परिषद के प्रतिउत्तर सं: 648 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त ठेकेदारों को सफाई से सम्बन्धित ठेके हेतु अवार्ड पत्र में 18 % GST की अदायगी करना दर्शाई गई थी जिस कारण ठेकेदारों को GST का भुगतान किया गया अब सम्बन्धित चार्टेड अकाउंटेंट से इस विषय पर चर्चा करके जो भी निदान होगा उससे अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है। यदि सफाई कार्य पर वस्तु एवं सेवाकर से छूट प्राप्त है, तो किन कारणों से 18% सेवाकर की अदायगी की गई। वस्तु एवं सेवाकर अदायगी करने के पश्चात क्या सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा यह राशि वस्तु एवं सेवाकर विभाग में जमा करवाई है यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में जमा करवाई गई राशि का प्रमाण लिया जाए यदि नहीं तो सम्बन्धित विभाग से मामला अलग से उठाया जाए। इसके अतिरिक्त अधिक किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया अन्यथा उचित स्त्रोत से राशि की प्रतिपूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार कि त्रुटी न दोहराई जाना सुनिश्चित किया जाये।

20 सफाई के ₹201.29 लाख के कार्य को आवंटन सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करवाना व अन्य अनियमितता बारे

वाउचर संख्या 230/50/41 व 230/50/41 दिनांक 05.02.22 द्वारा श्री अविनाश चन्द्र व लोकिन्द्र कुमार सफाई ठेकेदार को सफाई जॉन 1 से 3 के लिए क्रमशः ₹825438/-व ₹531872/- का भुगतान किया गया इस सम्बन्ध में कार्य अवार्ड पत्र संख्या: 806, 810, 816 दिनांक 16.06.21की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 01.06.21 से 31.05.22 तक के लिए ₹20128704/- के सफाई का कार्य उक्त ठेकेदारों को आवंटित किये गए जिस सम्बन्ध में निम्न लिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क) उक्त कार्य के टेंडर व्यापक प्रचार हेतु किन किन अखबारों में प्रकाशित किये गए से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में कार्य को आबंटन सम्बन्धित व्यापक स्तर पर प्रचार की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

(ख) उक्त कार्यों की संचिका में सलग्न E-Procurement Notice में तीनो जोन हेतु निम्नलिखित अनुमानित राशियाँ दर्शाई गई थी परन्तु अनुमान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में दर्शाई अनुमानित राशि कि सत्यता कि पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

जोन संख्या	**अनुमानित राशि (₹)**
जोन -1	5022300
जोन-2	6075384
जोन-3	6852072

(ग)उक्त कार्य हेतु नगर परिषद द्वारा कोई भी न्यायसंगत दर नही बनाई गई जो कि उचित नहीं था जिसके आभाव में आवंटित दर/ राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

(घ) उक्त कार्यों की संचिका में तकनीकी बिड की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त सभी कार्यों हेतु केवल दो ही ठेकेदार द्वारा दरें भरी गई थी (Responce) (सलग्न विवरण)। निदेशक शहरी विकास के पत्र UD-H-(F)(10)1/14 dt. 10.06.16 अनुसार व उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या:SP(Misc)F(6-1 0)4/80-111dt. 20.10.13 क्लॉज़ 19(b) के अनुसार दो टेंडर होने पर टेंडर को रद्द करके दोबारा टेडर आमंत्रित किए जाने अपेक्षित थे जो की नहीं किये गए।

(ड.) उक्त कार्यों की संचिका में ठेकेदारों द्वारा ऑनलाइन भरी गई राशि(फाइनेंसियल बिड)को सलग्न नहीं किया गया है व टेंडर ID संख्या 2021_UDDHP_46884_1,2,3 की ऑनलाइन जाँच करने पर पाया गया कि आज दिनांक तक उक्त कार्य की वित्तीय बोली नहीं खोली गई है जिसमे वित्तीय बोली

ओपनिंग इन प्रोग्रेस दर्शा रही है (सलग्न विवरण) व ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है।

(च) ठेकेदारों को प्रत्येक वर्ष 10% बढौत्तरी के साथ सफाई का ठेका आवंटित किया जा रहा था व वर्ष 2020-21 के लिए उक्त दोनों ही ठेकेदारों को तीनो जोन के सफाई का कार्य ₹11444316/- पर कार्य आवंटित किया गया था जबकि 2021-22 के लिए ₹20128704/- पर आवंटित किया गया जो की गत वर्ष कि तुलना में लगभग 7 6 प्रतिशत अर्थात ₹8684388/- (₹8684388/11444316x100) अधिक है जो कि अति ही गम्भीर मामला है।

(छ)उक्त कार्यों हेतु ऑनलाइन तुलनात्मक विवरणी (Compartative statement) सलग्न नहीं की गई है। जिसके आभाव में सभी ठेकेदारों के टेंडर मूल्य व न्यूनतम मूल्य के टेंडर की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

(ज) उक्त कार्य से सम्बन्धित ऑनलाइन दरें कम्प्यूटर पर अंकेक्षण को दर्शाने बारे अवगत कर वाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद कार्यालय द्वारा आनलाईन दरें नहीं दर्शाई गई जिसके अभाव में दरों की जाँच अंकेक्षण द्वारा ऑनलाइन नहीं की जा सकी जो कि अति ही गम्भीर मामला है।

उक्त अति गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 24 दिनांक 08.05.23 व 40 दिनांक 18.05.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अवगत करवाया गया इसके अतिरिक्त इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए पत्र संख्या: V(39)/2010-फिन (एल०ए०)-खण्ड-7- 5067 व 5068 दिनांक 07.06.23 निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अग्रिम पैरा के रूप में निदेशक, शहरी विकास विभाग को अवगत करवाया गया था। कार्यकारी अधिकारी के प्रतिउत्तर संख्या:661 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि (क) टेंडर को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था व अन्य अनियमितताओं पर छानबीन करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: उक्त मामले की विभागीय जाँच करके नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवया जाए।

21 स्ट्रीट लाइट रख-रखाब हेतु EESL दिल्ली ₹21.24 लाख का अनियमित भुगतान

वाउचर संख्या 250/50/08 दिनांक 03.02.22 की जाँच करने पर पाया गया कि EESL दिल्ली को अवधि 04/21 से 10/21 के स्ट्रीट लाइट रख-रखा व हेतू ₹2124196/- का भुगतान किया गया है जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क)अंकेक्षण में उक्त भुगतान से सम्बन्धित फर्म का बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। इतनी बड़ी राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना, नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा ऐसी स्थिति में किसी गंभीर वित्तीय अनियमितता/दुर्विनियोजन/गबन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

(ख) कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा के साथ हुए दिनांक 03.06.16 को MOU हुआ था जिसमें किसी प्रकार की दर का उल्लेख नहीं किया गया था जिसके आभाव में भुगतान की गई दर की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 64 दिनांक 05.06.23 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अवगत करवाया गया व नगर परिषद के प्रतिउत्तर सं: 652 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उपरोक्त मामले वारे आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व उक्त मामले पर शीघ्र कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवया जाए।

22 स्ट्रीट लाइट हेतु मै०EESL दिल्ली के कर्मचारियों को ₹0.51 लाख का अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्या: 08 दिनांक 09/22 जाँच में पाया गया कि मै० EESL दिल्ली के कर्मचारियों को निम्नलिखित विवरणानुसार माह 07/22 व 08/22 हेतु ₹50858/- का भुगतान किया गया जबकि मै० EESL दिल्ली के साथ अनुबंध था तो निम्न कर्मचारियों को भुगतान करने का औचित्य ही नहीं बनता है जो कि एक गम्भीर मामला है।

क्रम संख्या	**कर्मचारी का नाम**	**राशि**
1.	श्री सुशील सिंह	22138
2.	श्री पवन कुमार	13860
3.	श्री नवल किशोर	14860
	कुल जोड़	**50858**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 65 दिनांक 05.06.23 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अवगत करवाया गया व नगर परिषद के प्रतिउत्तर सं: 650 दिनांक

24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उपरोक्त मामले बारे आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: उक्त मामले पर शीघ्र कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की गई राशि ₹50858/- की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

23 IDSMT निधि से व्यय किये गए ₹13.65 लाख के बिल वाउचर न प्रस्तुत करना

अंकेक्षण के दौरान IDSMT निधि से माह 02/22 में 1365316 की निकासी रोकड़ बही में दर्शाई गई है परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी बिल /वाउचर किए गए भुगतान के सन्दर्भ में/समर्थन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अभाव में किये गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 37 दिनांक 17.05.23 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अवगत करवाया गया व नगर परिषद के प्रतिउत्तर सं: 483 दिनांक 31.05.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त निधि के बैंक खाते में पिछले 15 वर्षों से कोई लेन-देन व कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर प्रस्तुत न करने RBI द्वारा उक्त डेप्थ में कर दिया गया है जैसे ही अधिकारी के हस्ताक्षर बैंक में प्रस्तुत किए जायेंगे उपरोक्त राशि का नगर परिषद बैंक खाते में क्रेडिट सम्बन्धित सूचना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: उक्त राशि को सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 सविंदाकार से नियमानुसार स्त्रोत पर ₹0.25 लाख आयकर की कटौती न करना :-

आयकर अधिनियम की धारा 194(C) के अनुसार किसी भी सविंदाकार द्वारा अपनी सेवाए प्रदान करने के बदले एक बार में ₹30000/- से अधिक व एक वित्तीय वर्ष में ₹75000/- से अधिक की राशि के भुगतान के वर्ष में प्राप्त individual से 1% की दर से व firm से 2% की दर से आयकर की कटौती करना अपेक्षित था ।

अंकेक्षण के दौरान चयनित मास जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार सविंदा कार से स्त्रोत पर आयकर के रूप में ₹24743/- की कटौती नही की गई जोकि अनुचित था। अत: औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर	दिनांक माह/	ठेकेदार का	बिल	भुगतान की गई	आयकर	अपेक्षित आयकर

सं		नाम	संख्या	राशि व निधि का नाम	की दर	कटौती की राशि (₹)
शून्य	22/09	मै० ग्लोबल सैनीटेशन हरदासपुर	179 दिनाकं 02.11.20	453000 डिपाजिट वर्क निधि	2%	9060
शून्य	05.09.22	मै० रेस्टवेल सिंह फर्नीचर		137865 रेहन वसेरा निधि	%2	2757
06/09	30.09.22	मै० अरोरा इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज	5852 दिनांक 22. 29.07	97173 निधि CFS	%2	1943
अवधि 23/03 से 21/04 तक तुड़ी कि सप्लाई		श्री देवेन्द्र शर्मा	--	1098311	%1	10983
					कुल जोड़	**24743**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 72 दिनांक 08.06.23 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउत्तर सं: 645 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि यदि उक्त फर्मो/ ठेकेदारों द्वारा किसी प्रकार के बिल अदायगी हेतु इस कार्यालय में प्राप्त होते है तो उनके बिल से उक्त राशियों की कटौती कर ली जाएगी जिसे सरकारी कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। यदि भविष्य में आयकर विभाग द्वारा स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने हेतु किसी भी प्रकार का दण्ड प्रभार लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी निजि तौर पर जिम्मेवार होंगे। अतः स्त्रोत पर आयकर नियम की धारा- 194-C में दिए प्रावधानों अनुसार कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

25 कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से की गई यात्रा पर ₹0.21 लाख का अनियमित भुगतान

वर्क आर्डर संख्या :340(वी) दिनांक 17.05.21 अनुसार महाजन टूयर व् ट्रेवल को माह में 1500 किलोमीटर नगर परिषद अधिसूचित क्षेत्र में यात्रा करने हेतु प्रति माह 32000 के आधार पर

टेक्सी का किराया निर्धारित किया गया। वाउचर संख्या220/53/40 दिनांक 23.02.22 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री संजय महाजन को टेक्सी हेतु अवधि 18.01.22 से 17.02.22 तक के लिए 1156 किलोमीटर कि यात्रा हेतु ₹32000 का भुगतान किया गया है जिससे निम्नलिखित यात्रायें नगर परिषद से सम्बन्धित प्रतीत नहीं होती। जो कि अनियमित है।

दिनांक	**यात्रा का विवरण**	**किलोमीटर**
23.01.22	नगर परिषद कार्यालय से हमीरपुर	250
24.01.22	हमीरपुर से नगर परिषद कार्यालय चम्बा	250
04.02.22	नगर परिषद कार्यालय चम्बा से शाहपुर व वापिस	250
	कुल किलोमीटर	**750**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 32 दिनांक 10.05.23 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउत्तर सं: 659 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि उक्त अनियमितता हेतु उस समय के कार्यकारी अधिकारी से पत्राचार व छानबीन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: नगर परिषद अधिसूचित क्षेत्र के बाहर लम्बी दूरी यात्रा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा (32000/1156=27.68 x 7 50) =20760 की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

26 श्री अक्षित गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी (contractual) को यात्रा भत्ता के रूप में ₹0.09 लाख का अनियमित भुगतान

वाउचर संख्या:29/09 माह 09/22 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री अक्षित गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी(अनुबंध) को 9036 का भुगतान दिल्ली व निम्मली (राजस्थान) हेतु यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(1) निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या: UD-H(F)-(2)-5/2016(CB-1)-25541-547 DT.11.08.22 द्वारा कार्यकारी अधिकारी सुजानपुर को निम्मली (राजस्थान)में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रशिक्षण लेने हेतु निर्देश दिए गए थे व उक्त अधिकारी द्वारा सुजानपुर से यात्रा करके वापिस सुजानपुर में कार्यग्रहण किया गया उक्त बिल का भुगतान भी नगर परिषद सुजानपुर का दायित्व बनता था व भुगतान करना अपेक्षित था।

(2) उक्त अधिकारी द्वारा 892 किलोमीटर की यात्रा अपनी कार से की गई जिस हेतु प्रति किलोमीटर 8 कि दर से ₹7136/- का यात्रा भत्ता दावा किया गया जोकि नियमानुसार अनुबंध पर अधिकारी को देय नहीं है।

(3) प्रधान सचिव(वित्त) के कार्यालय मेमोरेंडम संख्या: FIN(C)-B(7)-1/2009 DT.20.04.12 के क्रम -1 के अनुसार उक्त अधिकारी श्रेणी-C में आते है तो दिल्ली ₹250/- दैनिक दर व हिमाचल से बाहर अन्य स्थान पर 200/- दैनिक दर से भुगतान करना अपेक्षित था जबकि दिल्ली में एक दिन ठहराव हेतु ₹350/- व नियमावली में 4 दिन ठहराव हेतु ₹200/- दैनिक के स्थान पर ₹300/-प्रति दैनिक दर से कुल ₹500 /- का अधिक भुगतान किया गया जो की अनियमित है।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:66 दिनांक 05.06.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या: 663 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया (1)कि क्योंकि श्री संजय कुमार, कार्यकारी अधिकारी व श्री अक्षित गुप्ता के स्थानान्तरण सम्बन्धी मामला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित हुए कि आगामी आदेशों तक दोनों अधिकारी यथा स्थान पर बने रहेंगे (2)कि उपरोक्त अधिकारी द्वारा सरकार की अधिसूचना अनुसार 8/- प्रति किलोमीटर कि दर से यात्रा की गई है (3) अधिक भुगतान की गई 500 की राशी की वसूली सम्बन्धित द्वारा कर ली जाएगी। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि (1)निदेशक, शहरी विकास द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुजानपुर को आदेश किए थे व नगर परिषद सुजानपुर का प्रतिनिधित्व श्री अक्षित गुप्ता EO द्वारा किया गया था जबकि श्री संजय कुमार कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया था अत: इस पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति नगर परिषद सुजानपुर से किया जाना सुनिश्चित किया जाए (2)श्री अक्षित गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी (अनुबंध आधार) 8/- प्रति किलोमीटर के लिए अधिकृत नहीं है जिन्हें केवल बस किराया ही भुगतान करना अपेक्षित था अत: उक्त मामले पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 9036/- की प्रतिपूर्ति नगर परिषद सुजानपुर से करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 श्री राजेश चौधरी, सहायक अभियन्ता को ₹0.09 लाख का अनियमित भुगतान

वाउचर संख्या:29/09 माह 09/22 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री अक्षित गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी(अनुबंध) को ₹11820 का भुगतान दिल्ली व निम्मली (राजस्थान) हेतु यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(1) उक्त अधिकारी द्वारा 1240 किलोमीटर यात्रा अपनी कार से की गई जिस हेतु प्रति किलोमीटर 8 कि दर से ₹9920/- का यात्रा भत्ता दावा किया गया जोकि नियमानुसार को देय नहीं है व् इनको बस किराये से भुगतान करना अपेक्षित था

(2) प्रधान सचिव (वित्त) के कार्यालय ज्ञापन संख्या: FIN(C)-B(7)-1/2009 DT.20.04.12 के क्रम -1 के अनुसार उक्त अधिकारी श्रेणी-C में आते है तो दिल्ली ₹250/- दैनिक दर व हिमाचल से बाहर अन्य स्थान पर ₹200/- दैनिक दर से भुगतान करना अपेक्षित था जबकि दिल्ली में एक दिन ठहराव हेतु ₹350/- व निम्मली में 4 दिन ठहराव हेतु ₹200/- दैनिक के स्थान पर ₹300/-प्रति दैनिक दर से भुगतान किया गया जो की अनियमित है। इस प्रकार दैनिकी हेतु ₹500/- का अधिक भुगतान किया गया। 12 +500=₹10570 का भुगतान अनियमित था।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:75 दिनांक 09.06.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:670 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवया गया कि (1)कि उपरोक्त अधिकारी द्वारा सरकार की अधिसूचना अनुसार 8/- प्रति किलोमीटर कि दर से यात्रा की गई है (3) अधिक भुगतान की गई 500 की राशि की वसूली सम्बन्धित द्वारा कर ली जाएगी। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है श्री राजेश चौधरी, सहायक अभियन्ता 8/- प्रति किलोमीटर के लिए अधिकृत नहीं है जिन्हें केवल बस किराया ही भुगतान करना अपेक्षित था अत: उक्त मामले पर नियमानुसार कार्यवाही करते इस अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने उपरान्त नियमित करवाया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की गणना संस्था स्तर पर करके उचित स्त्रोत से वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 बीचुमेन(Bitumen) के कम ड्रम आपूर्ति करने पर इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड से ₹0.06 लाख की प्रतिपूर्ति न करना

वाउचर संख्या 36/09 दिनांक 14.09.22 की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को उनके परफोर्म बिल संख्या: RMD/P/2022-23/102

DT.02.09.22 के हेतु 30 ड्रम बिचुमेन के लिए 295410 का भुगतान किया गया था जबकि उनके बिल संख्या -26235537B000189 दिनांक 19.09.22 द्वारा 29 ड्रम बिचुमेन हेतु 289538 भुगतान करना अपेक्षित था। इस प्रकार 295410-289538=5872 अधिक भुगतान किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:67 दिनांक 05.06.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी , नगर परिषद को को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:664 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवया गया कि उक्त अधिक भुगतान की राशि की वसूली इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड से करके नगर परिषद निधि में जमा करवा दी जाएगी। अत: की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

29 सुई माता मन्दिर जातर मेला हेतु लिए गए ₹2.00 लाख के अग्रिम राशि सम्बन्धित अनियमितताएं बारे

वाउचर 09/06 दिनांक 09.09.22 माता सुई जातर मेला हेतू लिए गए ₹200000/- के समायोजन हेतु श्री दिनेश कुमार,कनिष्ठ सहायक को ₹25793/- की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई है :-

(क) मै० घसीटा मल नेम राज से दिनांक 09.04.22 को ₹2660/- का पूजा का सामान लिया गया परन्तु सामान का विवरण नहीं दर्शाया गया।

(ख)मै० आर.मार्ट चम्बा से ₹47290/- का राशन का सामान जिस हेतु निविदाएँ अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आभाव में भुगतान की गई दरों कि सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

(ग)मै० सूर्यकांत शर्मा को दिनांक 11.04.22 से 13.04.22 तक टेंट उपलब्ध करवाने पर ₹20000/- का भुगतान किया गया जिस हेतु उक्त फर्म द्वारा निविदा दरें प्रस्तुत की गई :-

क्रम संख्या	विवरण	राशि (₹)
1.	टेंट 15x15	330 प्रत्येक
2.	पर्दा	200 प्रत्येक
3.	मेट्टिंग	200 प्रत्येक
4.	LED लाइट	180 प्रत्येक
5.	राइस लाइट	30 प्रत्येक

6.	फूल वाला गेट	1000 प्रत्येक

उक्त फर्म द्वारा केवल टेंट फीटिंग का मिश्रित बिल ही प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त मद अनुसार संख्या दर्शा कर कुल राशि दर्शाना अपेक्षित था

(घ) हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 189(3) के अनुसार अग्रिम राशि को 15 दिन के अन्दर समायोजित करवाना अपेक्षित होता है जबकि उक्त 2 लाख के अग्रिम राशि को 5 महीने बाद समायोजित करवाया गया है जो कि अनुचित है।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 70 दिनांक 08.06.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:651 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत कर वाया गया कि उक्त बारे आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा उत्तर असन्तोषजनक है अत; उक्त बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 नियमानुसार निर्माण कार्य में ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी की वसूली न करने बारे

प्रधान सचिव उद्योग के पत्र संख्या II(एफ)6-5/2006 दिनांक 16.01.12 व Ind-II (F)6-14 /2014 –Vol -1 dt. 10.02.2022 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर , रेत, बजरी, चूना पत्थर संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों के अनुसार रॉयल्टी लगाई गई है। नगर परिषद में विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग निर्माण सामग्री के एवज में सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र "एम फॉर्म" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करना अपेक्षित था परन्तु जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा संविदाकारों के किसी भी बिल से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई क्योंकि खरीदी गई निर्माण सामग्री के एवज में कोई एम फार्म अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। जोकि अनियमित है। निर्माण सामग्री बिलों से रॉयल्टी न काटने के सन्दर्भ में अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या :77 दिनांक 09.06.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:644 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवया गया कि भविष्य में ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती कर ली जाएगी उत्तर असन्तोषजनक है। अत: वर्ष 2021-22 व 22-23 में हुए निर्माण कार्य व निर्माण कार्य की सामग्री के

समस्त बिलों की रॉयल्टी की गणना संस्था स्तर पर कर एवं सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

31 नकारा सामान (कबाड़) की नीलामी न करना

अंकेक्षण के दौरान सफाई पर्यवेक्षक व मेट के कार्यालय नोट दिनांक 15.03.2023 एवं संचिका की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित सामान कार्यालय के स्टोर में बहुत समय से नकारा पड़ा है जो कि उपयोग योग्य नहीं है परन्तु अंकेक्षण के दौरान तक इस सामान की नीलामी नहीं की गई थी, जोकि उचित नहीं था।

क्रम संख्या	**सामान का विवरण**	**संख्या/मात्रा**
1.	जब्त की गई होर्डिंग व बोर्ड की फ्रेम	लगभग 3 से 4 जीप लोढ़ (Jeep load)
2.	टिन की चादर	2
3.	प्लास्टिक की पुरानी की टंकी 1000 लीटर	1
4.	गोदरेज की टूटी अलमारी	2
5.	जब्त किए हुए प्लास्टिक के क्रेट	10
6.	पुराने टायर	4
7.	तारकोल के खाली ड्रम	4
8.	जब्त की हुई रेहड़ी	2
9.	कूड़े की रेहड़ी	2
10	स्प्रे पम्प	14
11.	हेंड पम्प	1
12.	जब्त किये हुए बेड	3
13.	गलेज की लकड़ी कि पुरानी चुकाठ	2
हाल (hall)में रखा सामान		

1.	गोदरेज की अलमारी	11
2.	लकड़ी की अलमारी	15
3.	टिन के रैंक	
नगर परिषद कार्यालय के पीछे की तरफ रखा सामान		
1.	इंटरलोक चैन	5
2.	तारकोल मिक्स करने वाला चूल्हे का सामान	1
3.	वृक्ष रक्षक	1
4.	नाली ढकने वाले बक्से	30-32
5.	छोटे वाले कूड़ेदान	14
6.	टूटी हुई चरखड़ी	2
7.	पुराने स्ट्रीट लाइट खम्बे	6
8.	पुराने विज्ञापन पट्ट	5
9.	पुरानी इमारती लकड़ी जिसमें खिड़की की चुकाठे, दरवाजे की चुकाठे, ठाठर फट्टे व लकड़ी की छोटी कड़ियाँ व कुछ बालन टूटी हुई पुरानी लकड़ी जो लगभग 6-7 जीप के करीब।	

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या:35 दिनांक 11.05.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:482 दिनांक 31.05.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवया गया कि उक्त सामान की सभी औपचारिकता पूर्ण करने उपरान्त सामान की खुली बोली द्वारा नीलामी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा अत: उक्त सामान की नीलामी शीघ्र अति शीघ्र करके नीलामी से अर्जित आय को नगर परिषद निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32 स्थापना :-

स्थापना पर ₹416.61 लाख का अनियमित व्यय :-

नगर पालिका अधिनियम -1994 के अनुछेद 53(1) के अनुसार स्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग के बराबर राशि व्यय की जा सकती है जबकि अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1-04-21 से 31-03-23 के दौरान स्थापना पर निम्न विवरणानुसार ₹41661292 का अनियमित व्यय किया गया था जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट – ट** पर दिया गया है :-

year	Total expenditure	1/3rd expenditure on establishment	Actual expenditure on establishment	Excess expenditure on establishment
2021-22	69435957-00	23145319-00	41296391-00	18151072-00
2022-23	69127301-00	23042434-00	46552654-00	23510220-00
			Total	**41661292-00**

अत: स्थापना पर नियमों में निर्धारित राशि से अधिक ₹**41661292** के व्यय करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अधिक व्यय की गई राशि की कार्योउत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही स्थापना व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

33 श्रीमती नरसी,CO को संशोधित वेतनमान का गलत निर्धारण के कारण ₹0.30 लाख अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण द्वारा वाउचर संख्या शून्य माह 09/22 ₹2686588 व उक्त कर्मचारी की सेवापुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: फिन-(पीआर)बी(7)-1/2021 दिनांक 03.01.22 के अनुरूप वेतन निर्धारण न कर संशोधित वेतनमान का संलग्न विवरणानुसार गलत निर्धारण किया गया है जिस कारण इनको वेतन अवधि 03.01.22 से 31.07.22 तक का नकद बकाया वेतन निम्न प्रकार ₹12052 का भुगतान अधिक किया गया । इसके अतिरिक्त माह 08/22 से 05/23 तक के वेतन के रूप में ₹18340/- का अधिक भुगतान भी किया गया इस प्रकार कुल ₹12052+₹18340=₹30392/- का अधिक भुगतान किया गया।

नगर परिषद द्वारा निर्धारित वेतन		
1	Date of joining in Govt. Service	04-07-2007 as (CO)
2	Pay Bank as per HPSC Rule 2009	5910-20200
3	Grade pay as per HPSC Rule 2009	2000

4	Pay Bank after re-revision in 2012	5910-20200
5	Grade pay after re-revision in 2012	2000
6	OIption under Rule-6 (Attached) with date	2.59 w.e.f 01-01-2016
7	Rule under which pay fixed (as per Option)	7(I)(b)(II)
8	Basic Pay as on 31.12.2015 (Actual)	8480+2000=10480
9	Basic Pay on notional basis	8480+2000=10480
10	Date of Annual Increment	July every year

11	Date	Particular	Pay Bank	Basic Pay	Grade Pay	Toal	Remarks
	01-05-2015	Annual Increment	5910-20200	8480	2000	10480	

12	Pay after multiplying factor (2.59)=10480 x 2.59=27143 R/O=27143
13	Pay fixed in revised scale on 01.01.2016 or 31.12.2015. In level-5, Cell-10, Rs. 27800, DNI 01-07-2016.
14	Pay fixed after regulating annual Increment/Promotion/ACP

	Date	Particular	B.Pay in Matrix	DNI	Remarks	
	01-07-2016	Annual Increment	28600	01-07-17		
	18-07-2016	9 years ACPS	29700		Level-6, Cell-6 of ₹29700	
	01-07-2017	Annual Increment	30600	01-07-2018		
	01-07-2018	Annual Increment	31500	01-07-2019		
	01-07-2019	Annual Increment	32400	01-07-2020		
	01-07-2020	Annual Increment	33400	01-07-2021		
	01-07-2021	Annual Increment	34400	01-07-2022		

	04-07-2021	14 years ACPS	35400			
	01-07-2022	Annual Increment	36500	01-07-2023		

अंकेक्षण द्वारा वेतन निर्धारण

1	**Name of Employee**		**Smt Narsi**				
2	**Designation**		**Community Organiser**				
3	**Date of Appoinmet**		**04.07.2007**				
4	Pay Band as per HPCS(RP)Rules,2009		**PB-2(5910-20200)**		**1950 GP ACPs 04 years on 04.07.2011**		
5	Grade Band as per HPCS(RP)Rules,2009		**1900**		**2000 GP ACPs 09 years on 04.07.2016**		
6	Pay Band as per HPCS(RP)Rules,2012		**PB-2(5910-20200)**		**2400 GP ACPs 14 years on 04.07.2021**		
7	Grade Band as per HPCS(RP)Rules,2012						
8							
9	**Date of increment**	**INC. @3%**	**INC R. OFF**	**PAY IN P. BAND**	**GRADE PAY**	**BASIC PAY**	
10	0			0	0	0	
11	30.09.2012	0	0	7460	1950	9410	
12	01.07.2013	282.3	290	7750	1950	9700	
13	01.07.2014	291	300	8050	1950	10000	
14	**01.07.2015**	**300**	**300**	**8350**	**1950**	**10300**	
15	**Level Corresponding to grade pay as per HPCS(RP) Rules.2022**			**Grade pay**	**1950**	**LEVEL**	**4**
16	**Basic Pay as on 31/12/2015**	**Par factor as per otp by official**	**Pay after multiply by factor**	**Revised pay in pay matrix as on 01.01.2016**	**As per HPSC(RP) Rules,2022**	**Level Corresponding to grade Pay as per HPCS (RP)Rules.2022**	**cell**
17	**10300**	**2.59**	**26677**	**26900**		**4**	**10**
18	**Remarks**	**Date of Increment**		**Rate of INC. in B.Pay**	**PAY IN PAY MATRIX**	**LEVEL**	**Cell**

19	**REVISED PAY FIX AS ON**	01.01.2016	0	26900	4	10
20	Annual Increment	01.07.2016	3%	27700	4	11
21	**Granted New ACPs 09 Years Benefits**	**04.07.2016**	**3%**	**28500**	**4**	12
22	Annual Increment	01.07.2017	3%	29400	4	13
23	Annual Increment	01.07.2018	3%	30300	4	14
24	Annual Increment	01.07.2019	3%	31200	4	15
25	Annual Increment	01.07.2020	3%	32100	4	16
26	Annual Increment	01.07.2021	3%	33100	4	17
27	**Granted New ACPs 14 Years Benefits**	**04.07.2021**	**3%**	**34100**	**4**	18
28	Annual Increment	01.07.2022	3%	35100	4	19
29	Next Increment due on	01.07.2023				

Sr. No.	**Name**	**Desi-gnati on.**	**Period**	**B. P. Due**	**DA Due**	**Total**	**BP Drawn**	**DA Drawn**	**Total**	**Difference**			**GRAND**
					31%			**31%**					**TOTAL**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**7**	**9**	**10**			**11**
										A	**B**	**A x B**	
1	Narsi	**C.O**	01/01/22 to 31/01/22	34100	10571	44671	35400	10974	46374	1703	1	1703	**1703**
			01/02/22 to 28/02/22	34100	10571	44671	35400	10974	46374	1703	1	1703	**1703**
			01/03/22 to 31/03/22	34100	10571	44671	35400	10974	46374	1703	1	1703	**1703**
			01/04/22 to 30/04/22	34100	10571	44671	35400	10974	46374	1703	1	1703	**1703**
			01/05/22 to 31/05/22	34100	10571	44671	35400	10974	46374	1703	1	1703	**1703**

			01/06/22 to 30/06/22	34100	10571	44671	35400	10974	46374	1703	1	1703	**1703**
			01/07/22 to 31/07/22	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			Total	**239700**	**74307**	**314007**	**248900**	**77159**	**326059**	**12052**		**12052**	**12052**

Salary Due Drawn Statement of Smt. Narsi C.O. MC Chamba w.e.f.01-08-2022 to 31-05-2023.

			01/08/22 to 31/08/22	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			01/09/22 to 30/09/22	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			01/10/22 to 31/10/22	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			01/11/22 to 30/11/22	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			01/12/22 to 31/12/22	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			01/01/23 to 31/01/23	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			01/02/23 to 28/02/23	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			01/03/23 to 31/03/23	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			01/04/23 to 30/04/23	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**

			01/05/23 to 31/05/23	35100	10881	45981	36500	11315	47815	1834	1	1834	**1834**
			Total	**351000**	**108810**	**459810**	**365000**	**113150**	**478150**	**18340**		**18340**	**18340**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 74 दिनांक 09.06.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी , नगर परिषद को को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या:668 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कर्मचारी से ₹30392/- की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार करना व इसके अतिरिक्त वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: फिन-(पीआर)बी(7)-1/2021,LOOSE दिनांक 17.09.22 द्वारा अवधि 01-01-16 से 21.12.15 तक का संशोधित वेतनमान की बकाया राशि का पुन:निर्धारण कर भविष्य में तदानुसार भुगतान करना भी सुनिश्चित किया जाये।

34 श्री राजेश चौधरी सहायक अभियन्ता,नगर परिषद् चम्बा को संशोधित वेतनमान का गलत निर्धारण के कारण ₹0.23 लाख अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण द्वारा वाउचर संख्या शून्य माह 09/22 ₹2686588 व उक्त कर्मचारी की सेवापुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: फिन-(पीआर)बी(7)-1/2021 दिनांक 03.01.22 के अनुरूप वेतन निर्धारण न कर संशोधित वेतनमान का निम्न विवरणानुसार गलत निर्धारण किया गया है जिस कारण इनको वेतन अवधि 03.01.22 से 31.07.22 तक का नकद एरियर निम्न प्रकार ₹10087 का भुगतान अधिक किया गया इसके अतिरिक्त माह 08/22 से 04/23 तक के वेतन के रूप में ₹12969/- का अधिक भुगतान भी किया गया इस प्रकार कुल ₹10087 +`₹12969=₹23056/- का अधिक भुगतान किया गया।

नगर परिषद द्वारा वेतन निर्धारण

1	Date of Joining in Govt. Service				**28.10.2000 as Junior Engineer**		
2	Pay band as per HPSC Rule 2009				**5800-9200**		
3	Grade Pay as per HPSC Rule 2009				**3800**		
4	Pay band after re-revision in 2012				**10300-34800**		
5	Grade Pay after re-revision in 2012				**4800**		
6	Option under Rule-6 (attached) with date				**2.59 (w.e.f. 01.01.2016)**		
7	Rule under which pay fixed (as per option)				**7 (1)(b) (ii)**		
8	Basic Pay as on 31.12.2015 (Actual)				**19230+5400=24630**		
9	Basic Pay as on 30.09.2012 (Before re-revision)				**16500+4200=20700**		
10	Date of Annual increment				**October (every year)**		
11	**Pay Details**						
12	**Pay Actual drawn**				**Notional Pay**		
13	**Date**	**Pay in PB**	**GP**	**Total Pay**	**Pay in PB**	**GP**	**Total Pay**
14	01.10.2011	16500	4200	20700	16500	4200	20700
15	01.10.2012	17130	5400	22530	17130	4200	21330
16	01.10.2013	17810	5400	23210	17770	4200	21970
17	01.10.2014	18510	5400	23910	18430	4200	22630
18	01.10.2015	19230	5400	24630	19110	4200	23310
19	**Factor**	**2.25**	**55417.50**		**Factor**	**2.59**	**60372.90**
20	**23310 x 2.59 =60372.90 rounded off to nearest Rupee i.e. Rs.60373/-**						
21	Employee chooses the multiplication factor of 2.59 as on 01.01.2016 the revised pay fixed at level corresponding to Rs.4200 Grade Pay in the pay matrix i.e. level 12 (Cell-13) (as per Rule 7 (I) (b) (i) Revised pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to Rs.60373/-						61300
22	**Pay fixation w.e.f. 01.01.2016 under HPCS (RP) Rules, 2022**						
23	01.01.2016	Pay fixed w.e.f. 01.01.2016			**Level-12**	**Cell-13**	61300
24	01.10.2016	Annual increment				**Cell-14**	63100
25	01.10.2017	Annual increment				**Cell-15**	65000
26	01.10.2018	Annual increment				**Cell-16**	67000
27	01.10.2019	Annual increment				**Cell-17**	69000

28	01.10.2019	Promoted to the post of Assistant Engineer in the pay scale of Rs.15600-39100+5400 G.Pay (Pay level shifted from 12 to 17 either equal or next higher to Rs. 69000/-)	**Level-17**	**Cell-10**	70000
29	01.10.2019	By grant of promotional increment as per option exercised under Rule FR22(i)a(i)		**Cell-11**	72100
30	01.10.2020	Annual increment		**Cell-12**	74300
31	01.10.2021	Annual increment		**Cell-13**	76500
32	01.10.2022	Annual increment		**Cell-14**	78800

(ख) अंकेक्षण द्वारा निर्धारित वेतन

1	Date of joining in Govt. Service.	28-10-2000 as Juniour Engineer
2	Pay Band as per HPSC Rule 2009.	10300-34800
3	Grade pay as per HPSC Rule 2009.	4200
4	Pay Band after re- revision in 2012	10300-34800
5	Grade pay after re-revision in 2012.	5400
6	Option under Rule - 6 (Attached) with date	2.59 w.e.f. 01-01-2016
7	Rule under which pay fixed (as per Option)	7(I)(b)(II)
8	Basic Pay as on 31.12.2015(Actual)	19230+5400=24630
9	Basic Pay as on 30.09.2012(Before re-revision)	16500+4200=20700
10	Date of Annual Increment.	October every year

11	**Date**	**Particular**	**Pay Band**	**Basic Pay**	**Grade Pay**	**Total**	**Re-marks**
	01-10-2011	Annual Increment	10300-34800	16500	4200	20700	
	01-10-2012	Annual Increment		17130	4200	21330	
	01-10-2013	Annual Increment		17770	4200	21970	

	01-10-2014	Annual Increment		18430	4200	22630	
	01-10-2015	Annual Increment		19110	4200	23310	
12	**Pay after multiplying factor (2.59) = 23310 x 2.59 = 60372.9 R/o = 60373**						
13	**Pay fixed in revised scale on 01-01-2016 or 31-12-2015. In level-12, Cell-13, Rs. 61300, DNI 01-10-2016.**						
14	Pay fixed after regulating annual Increment/Promotion/ACP						

	Date	**Particular**	**B. Pay in Matrix**	**DNI**	**Remarks**
	01-10-2016	Annual Increment	63100	01-10-2017	Level-12 Cell-14
	01-10-2017	Annual Increment	65000	01-10-2018	Level-12 Cell-15
	01-10-2018	Annual Increment	67000	01-10-2019	Level-12 Cell-16
	01-10-2019	Annual Increment	69000		Level-12 Cell-17 of .
	01-10-2019	Promoted as AE	71100	01-10-2019	Promoted as Assistant Engineer in level-12 Cell-18 of
	01-10-2019	Promotion increment	71100	01-10-2020	Pay fixed in higher post as Assistant Engineer In level-18 cell-9
	01-10-2020	Annual Increment	73200	01-10-2021	Level-18 cell-10
	01-10-2021	Annual Increment	75400	01-10-2022	Level-18 cell-11
	01.10.2022	annual increment	77700	01.10.23	Level-18 cell-11

(ग)	**DUE**				**DRAWN**		
Period	**B.P. Due**	**DA Due**	**Total**	**BP Drawn**	**DA Drawn**	**Total**	**Difference**
01/01/22 to 31/01/22	75400	23374	98774	76500	23715	100215	1441
01/02/22 to 28/02/22	75400	23374	98774	76500	23715	100215	1441
01/03/22 to 31/03/22	75400	23374	98774	76500	23715	100215	1441
01/04/22 to 30/04/22	75400	23374	98774	76500	23715	100215	1441

01/05/22 to 31/05/22	75400	23374	98774	76500	23715	100215	1441
01/06/22 to 30/06/22	75400	23374	98774	76500	23715	100215	1441
01/07/22 to 31/07/22	75400	23374	98774	76500	23715	100215	1441
01/08/22 to 31/08/22	75400	23374	98774	76500	23715	100215	1441
01/09/22 to 30/09/22	75400	23374	98774	76500	23715	100215	1441
01/10/22 to 31/10/22	77700	24087	101787	78800	24428	103228	1441
01/11/22 to 30/11/22	77700	24087	101787	78800	24428	103228	1441
01/12/22 to 31/12/22	77700	24087	101787	78800	24428	103228	1441
01/01/23 to 31/01/23	77700	24087	101787	78800	24428	103228	1441
01/02/23 to 28/02/23	77700	24087	101787	78800	24428	103228	1441
01/03/23 to 31/03/23	77700	24087	101787	78800	24428	103228	1441
01/04/23 to 30/04/23	77700	24087	101787	78800	24428	103228	1441
Total	**1222500**	**378978**	**1601475**	**1240100**	**384431**	**1624531**	**23056**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 65 दिनांक 09.06.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद को सूचित किया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या: 669 दिनांक 24.06.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवया गया कि उक्त कर्मचारी से ₹23056/- की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना व इसके अतिरिक्त वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: फिन-(पीआर)बी(7)-1/2021,LOOSE

दिनांक द्वारा दिनांक 01-01-16 से 21.12.15 तक का संशोधित वेतन मान के एरियर का पुन:निर्धारण कर भविष्य में तदानुसार भुगतान करना भी सुनिश्चित किया जाये।

35 . अस्थाई अग्रिम ₹5.88 लाख का समायोजन न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.21 तक नगर परिषद द्वारा विभिन्न कर्मचारियों को **परिशिष्ट "ठ"** पर वर्णित विवरणानुसार ₹587564 के जारी अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नियमानुसार शीघ्र किया जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए।

36 महत्वपूर्ण अभिलेखों को तैयार न करना

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद चम्बा द्वारा अंकेक्षण को पत्र संख्या: 672 दिनांक 24.06.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख -रखाव नगर परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा है जोकि अनियमित था। अत: निम्न अभिलेखों का रख -रखाव शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1. Trial Balance
2. Balance sheet
3. T.A check register
4. Medical check register
5. Royality reciept and deposit register

37 स्टोर /स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा सहिंता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी)में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टोर/स्टॉक में पड़ी मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद चम्बा द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जो की वर्णित प्रावधानों की

सरासर उल्लंघना है। अत: नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक लेखों में किसी भी दुर्विनियोजन की सम्भावना से बचा जा सके तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

38 **लघु आपत्ति विवरणी :-** लघु आपत्तियों का मौके पर निपटारा कर दिया गया यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई।

39 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार, कड़े निरिक्षण एवं गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों के निस्तारण के अतिरिक्त अस्थाई अग्रिमों के शीघ्र समायोजन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की नितान्त आवश्यकता है। लेखे असन्तोषजनक पाए गए।

हस्ता/–
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881

पृष्ठांकन संख्याः(V)39/2010- फिन(एल0ए0) खण्ड–7-7398-7399 दिनांकः14–09–23 शिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत : 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/–
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881

परिशिष्ट –"क" (अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि upto 31-03-1957

क्रम सं	पैरा सं0	पैरे की स्थिति
1.	इस अवधि के पैरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।	

(ख)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1959 से 03/1960

क्रम सं	पैरा सं	पैरे की स्थिति
1 .	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(ग)अंकेक्षण अवधि 04/1960 से 03/1961 :-

1.	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(घ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1961 से 06/1963 :-

1.	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(ड.)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/1963 से 06/1965 :-

1.	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(च)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/1965 से 10/1966 :-

1.	Examiner Inspection note	अनिर्णीत

(छ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/1967 से 11/1968 :-

1.	2(1)	अनिर्णित
2.	2(2)	अनिर्णीत

3.	6	अनिर्णीत

(ज)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/1968 से 03/1970 :-

1	1	अनिर्णित
2.	2	अनिर्णीत
3.	3	अनिर्णीत
4.	4	अनिर्णीत
5.	7 से 12	अनिर्णीत

(झ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 09/1970 से 01/1973 :-

1	4	अनिर्णित
2.	8	अनिर्णीत
3.	9	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1971-72 और 1972-73 :

1.	1 से 5 तक	अनिर्णित

(ट)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/1973 और 03/1975 :-

1.	8(ए)	अनिर्णित
2.	9(ए)से9(जी)तक	अनिर्णीत
3.	9 (एच)वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
4.	10(2)से 10(6)तक	अनिर्णीत
5.	12(8)(सी)(2)से12(8)(सी)(19)तक	अनिर्णीत
6.	12(डी)(2)(3)	अनिर्णीत
7.	12 (ई)(5)	अनिर्णीत
8 .	12 (ई)(7)	अनिर्णीत
9.	12 (ई)(9)	अनिर्णीत
10.	12 (ई)(11)	अनिर्णीत
11.	12 (ई)(12)	अनिर्णीत
12.	12 (ई)(14)से 12 (ई)(16)तक	अनिर्णीत

13.	12 (ई)(18)	अनिर्णीत
14.	12 (ई)(19)	अनिर्णीत
15.	12 (ई)(20)	
16.	12 (एफ)(1)से 12 (एफ)(10) तक	अनिर्णीत
17.	12 (एफ)(13)	अनिर्णीत
18.	12 (एफ)(14)	अनिर्णीत
19.	12 (जी)(2)से 12 (जी)(7) तक	अनिर्णीत
20.	17	अनिर्णीत
21	18(बी)(8)वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
22	18(सी)(2)	अनिर्णीत

(ठ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1975 और 03/1981 :-

1.	7(ए)(1 से 7)वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णित
2.	7(बी)वार्षिक रिपोर्ट	अनिर्णीत
3.	7(सी)	अनिर्णीत
4.	8(1)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
5	8(2)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
6.	8(बी)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
7 .	8(4)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
8 .	8(6)	अनिर्णीत
9.	8(8)	अनिर्णीत
10.	8(10)	अनिर्णीत
11.	8(14)	अनिर्णीत
12.	8(20)(1)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
13 .	8(20)(2)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
14.	8(26)	अनिर्णीत
15.	8(28)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत

16 .	8(29)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
17 .	8(31)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
18 .	9(10)(2)से 9(10)(4)तक	अनिर्णीत
19	10(6) से (10)(8)तक	अनिर्णीत
20	10(16)	अनिर्णीत
21	10 (22)से 10(25)तक	अनिर्णीत
22	10(31)	अनिर्णीत
23	10(32)	अनिर्णीत
24	11 (6)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
25	11 (7)वार्षिक रिपोर्ट पैरा	अनिर्णीत
26	12 (1)से 12(3)तक	अनिर्णीत
27	15(2)	अनिर्णीत
28	20	अनिर्णीत

(ड)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1981 से 03/1982 :-

1.	3 (बी)	अनिर्णित
2.	9 से 11 तक	अनिर्णीत
3.	12 (ए)	अनिर्णीत
4.	12 (जी)	अनिर्णीत
5	12 (एच)	अनिर्णीत
6.	17	अनिर्णीत
7 .	19 (ए)	अनिर्णीत
8 .	22 (डी)	अनिर्णीत
9.	22(ई)	अनिर्णीत

(ढ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/82 और 03/83 तक

क्रम सं0	पैरा सं0	निर्णीत/अनिर्णीत

1	6 (बी)	अनिर्णीत
2	6 (सी)	अनिर्णीत
3	6 (जी)	अनिर्णीत
4	17 (ए)	अनिर्णीत
5	17 (बी)	अनिर्णीत
6	18 (ए) से (सी) तक	अनिर्णीत
7	19 (ए) से (सी) तक	अनिर्णीत
8	19 (ई)	अनिर्णीत
9	19 (एफ)	अनिर्णीत
10	19 (के)	अनिर्णीत
11	19 (एल)	अनिर्णीत
12	21	अनिर्णीत
13	23 (2)	अनिर्णीत
14	23 (3)	अनिर्णीत
15	23 (6) से (44) तक	अनिर्णीत
16	23 (47)	अनिर्णीत
17	23 (49) से (52)	अनिर्णीत
18	26 (डी)	अनिर्णीत
19	26 (के)	अनिर्णीत
20	26 (ओ)	अनिर्णीत
21	26 (आर)	अनिर्णीत
22	26 (टी)	अनिर्णीत
23	26 (यू)	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/83 से 03/85 तक

क्रम सं0	**पैरा सं0**	**निर्णीत/अनिर्णीत**
1	12	अनिर्णीत
2	13 (जी)	अनिर्णीत
3	13 (एच) (5) से 13 (एच) (10) तक	अनिर्णीत
4	13 (के)	अनिर्णीत

5	13 (आई)	अनिर्णीत
6	13 (क्यू) से 13 (डब्लयू) तक	अनिर्णीत
7	13 (वाई)	अनिर्णीत
8	15 (सी)	अनिर्णीत
9	16 (एल)	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/86 तक

क्रम सं0	**पैरा सं0**	**निर्णीत/अनिर्णीत**
1	9	अनिर्णीत
2	2 (ए से ई) तक	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/86 से 03/88 तक

क्रम सं0	**पैरा सं0**	**निर्णीत/अनिर्णीत**
1	3 (सी)	अनिर्णीत
2	7	अनिर्णीत
3	20	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/91 तक

क्रम सं0	**पैरा सं0**	**निर्णीत/अनिर्णीत**
1	3 (2)	अनिर्णीत
2	3 (3)	अनिर्णीत
3	8 (घ)	अनिर्णीत
4	13 (ख)	अनिर्णीत
5	13 (घ)	अनिर्णीत
6	13 (य)	अनिर्णीत
7	13 (ङ)	अनिर्णीत
8	13 (च)	अनिर्णीत
9	13 (छ)	अनिर्णीत

10	14 (ख)	अनिर्णीत
11	14 (ख) (1)	अनिर्णीत
12	14 (ख) (3)	अनिर्णीत
13	14 (ग) (2)	अनिर्णीत
14	14 (ज)	अनिर्णीत
15	14 (ञ)	अनिर्णीत
16	14 (5) (ग)	अनिर्णीत
17	15 (ण)	अनिर्णीत
18	16 (द)	अनिर्णीत
19	16 (ण)	अनिर्णीत
20	17 (2) (3)	अनिर्णीत
21	18 (3)	अनिर्णीत
22	18 (4)	अनिर्णीत
23	18 (10) (बी)	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/99 तक

क्रम सं0	**पैरा सं0**	**निर्णीत/अनिर्णीत**
1	8	अनिर्णीत
2	9 (1)	अनिर्णीत
3	10	अनिर्णीत
4	13 (क) से 13 (ग) तक	अनिर्णीत
5	14 (16) से 14 (18) तक	अनिर्णीत
6	15 (7) से 15 (11) तक	अनिर्णीत
7	17	अनिर्णीत
8	18 (4) से 18 (6) तक	अनिर्णीत
9	19 (1)	अनिर्णीत
10	19 (2)	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 03/2007 तक

क्रम सं0	**पैरा सं0**	**निर्णीत/अनिर्णीत**
1	3 (4) (4) से 3 (4) (10) तक	अनिर्णीत
2	3 (5) (3)	अनिर्णीत

3	3 (6)	अनिर्णीत
4	3 (6) (1) से 3 (6) (3) तक	अनिर्णीत
5	4 (2)	अनिर्णीत
6	4 (5)	अनिर्णीत
7	4 (6)	अनिर्णीत
8	4 (8) से 4 (11)	अनिर्णीत
9	4 (13)	अनिर्णीत
10	4 (15)	अनिर्णीत
11	4 (16)	अनिर्णीत
12	4 (18)	अनिर्णीत
13	4 (19)	अनिर्णीत
14	4 (23)	अनिर्णीत
15	4 (24)	अनिर्णीत
16	4 (26)	अनिर्णीत
17	4 (27)	अनिर्णीत
18	5 (1)	अनिर्णीत
19	5 (2)	अनिर्णीत
20	5 (4)	अनिर्णीत
21	5 (5)	आंशिक निर्णीत
22	5 (6)	आंशिक निर्णीत
23	5 (12)	अनिर्णीत
24	6 (1)	अनिर्णीत
25	6 (2)	अनिर्णीत
26	6 (4)	अनिर्णीत
27	6 (8) से 6 (13) तक	अनिर्णीत
28	6 (15)	अनिर्णीत
29	7 (1) से 7 (9) तक	अनिर्णीत
30	7 (11)	अनिर्णीत

31	7 (12)	अनिर्णीत
32	8 (1 से 5) तक	अनिर्णीत
33	10 (1) (1)	अनिर्णीत
34	10 (1) (3) से 10 (1) (12) तक	अनिर्णीत
35	10 (2)	अनिर्णीत
36	10 (3)	अनिर्णीत
37	11	अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010 तक

क्रम सं0	**पैरा सं0**	**निर्णीत/अनिर्णीत**
1	8.2	अनिर्णीत
2	9	अनिर्णीत
3	9.5	अनिर्णीत
4	9.8	अनिर्णीत
5	9.9	अनिर्णीत
6	10	अनिर्णीत
7	12	अनिर्णीत
8	13	अनिर्णीत
9	13.1	अनिर्णीत
10	13.2	अनिर्णीत
11	13.4 से 13.9 तक	अनिर्णीत
12	14	अनिर्णीत
13	14.1 से 14.6	अनिर्णीत
14	14.8 से 14.25	अनिर्णीत
15	14.29	अनिर्णीत
16	14.32 से 14.35 तक	अनिर्णीत
17	14.38	अनिर्णीत
18	14.43 से 14.44	अनिर्णीत

19	14.45	आंशिक निर्णीत
20	14.46	अनिर्णीत
21	14.47	अनिर्णीत
22	15	अनिर्णीत
23	15.1 से 15.8 तक	अनिर्णीत
24	15.8.1 से 15.8.3	अनिर्णीत
25	15.9 से 15.15 तक	अनिर्णीत
26	16	अनिर्णीत
27	16.1	अनिर्णीत
28	17.1 से 17.4 तक	अनिर्णीत

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2013 तक

क्रम सं0	पैरा सं0	निर्णीत/अनिर्णीत
1	4 (क) (i)	अनिर्णीत
2	4 (ख) (iii) से 4 (ख) (अ)	अनिर्णीत
3	4 (घ) (i)	अनिर्णीत
4	9 (1) (III)	अनिर्णीत
5	9 (1) (IV)	अनिर्णीत
6	9 (2) (II) से 9 (2) (V)	अनिर्णीत
7	9 (2) (VII)	अनिर्णीत
8	9 (2) (IX)	अनिर्णीत
9	9 (4) (i) से 9 (4) (iv) तक	अनिर्णीत
10	10 (1) से 10 (4) तक	अनिर्णीत
11	10 (6) से 10 (8) तक	अनिर्णीत
12	10 (10) से 10 (18)	अनिर्णीत
13	11 (1) से 11 (5) तक	अनिर्णीत
14	12 (1) से 12 (4) तक	अनिर्णीत
15	13 (1)	अनिर्णीत
16	13 (2)	अनिर्णीत
17	14 (1)	अनिर्णीत

18	14 (3) से 14 (5)	अनिर्णीत

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2015 तक

क्रम सं0	**पैरा सं0**	**निर्णीत/अनिर्णीत**
1	4.1 (ii)	अनिर्णीत
2	4.2 (ii)	अनिर्णीत
3	4.3 (ii)	अनिर्णीत
4	7	अनिर्णीत
5	11	अनिर्णीत
6	11.1	अनिर्णीत
7	13 (i) से 13 (iii) तक	अनिर्णीत
8	18	अनिर्णीत
9	19	अनिर्णीत
10	21	अनिर्णीत
11	23	अनिर्णीत
12	23.1 (ग)	अनिर्णीत
13	25	अनिर्णीत
14	26	अनिर्णीत

(भ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2017 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	**पैरा स्थिति**	टिप्पणी
1.	4 (ख) (i)	अनिर्णीत	
2.	4 (ख) (ii)	अनिर्णीत	
3	4 (ग) (ii)	अंशतः निर्णीत	
4	4 (घ) (i)	अनिर्णीत	
5	4 (घ) (ii)	अनिर्णीत	
6	4 (झ)	अनिर्णीत	
7	5 (ख)	अनिर्णीत	
8	5 (ग)	अनिर्णीत	
9	5 (घ) (i)	अनिर्णीत	
10	5 (घ) (ii)	अनिर्णीत	

11	5 (घ) (iii)	अनिर्णीत
12	5 (घ) (iv)	अनिर्णीत
13	5 (ङ)	अनिर्णीत
14	6	अनिर्णीत
15	14 (i)	अनिर्णीत
16	14 (ii)	अनिर्णीत
17	14 (iii)	अनिर्णीत
18	15	अंशतः निर्णीत
19	16	अनिर्णीत
20	19	अनिर्णीत
21	20	अनिर्णीत
22	21	अनिर्णीत
23	22 (i)	अनिर्णीत
24	23 (क)	अनिर्णीत
25	23 (ख) (i)	अनिर्णीत
26	23 (ख) (ii)	अनिर्णीत
27	23 (ख) (iii)	अनिर्णीत
28	23 (ख) (iv)	अनिर्णीत
29	23 (ख) (v)	अनिर्णीत
30	23 (ख) (vii)	अनिर्णीत
31	23 (ख) (viii)	अनिर्णीत
32	23 (ख) (ix)	अंशतः निर्णीत
33	25	अनिर्णीत

(म) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019 तक

क्रम सं	पैरा सं	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1..	5(ख)i से iii	अनिर्णीत	

2.	6	अनिर्णीत	
3.	8(घ)	अनिर्णीत	
4.	12	अनिर्णीत	
5.	15(ख)	अनिर्णीत	
6.	15(ग)	अनिर्णीत	
7	16 (क,ख)	अनिर्णीत	
8.	19	अनिर्णीत	
9.	20	अनिर्णीत	
10.	22 (क,ख)	अनिर्णीत	
11.	23	अनिर्णीत	
12.	24	अनिर्णीत	
13.	25(i से vi)	अनिर्णीत	
14.	26	अनिर्णीत	
15 .	27	अनिर्णीत	

(य) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम सं	**पैरा सं**	**पैरे की स्थिति**	**टिप्पणी**
1.	4 (क) (1)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है
2.	4 (क) (2)	अनिर्णीत	
3.	4 (क) (i)	अनिर्णीत	
4.	4 (क) (ii)	अनिर्णीत	
5.	4 (क) (iii)	अनिर्णीत	
6.	4(ख)1 व 2	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)

7.	4(घ)i से iii	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
8.	4(ड.)i से v	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है।
9.	4 (च)	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
10.	4(छ)	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
11.	4 (ज)	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
12	4(झ)	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
13.	4(¼¥½	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
14.	4(ट)	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
15.	4(ठ)i से ix	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)

16.	5 (क)	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
17.	5(ख)i से iii	अनिर्णीत	
18.	6 (क,ख)	अनिर्णीत	
19.	7 क से ग	अनिर्णित	
20.	8	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
21.	9	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
22 .	10	अनिर्णित	कार्यवाही देख ली गई है
23.	11 (i से iii)	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
24.	12	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
25 .	13 क	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
26 .	13 ख	अनिर्णित	
27.	14(1 व 2)	अनिर्णीत	
28.	15(क व ख)	अनिर्णित	
29.	16	निर्णित	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अद्यतन करने पर)
30	17 क,ख	आंशिक निर्णित	
31	18	अनिर्णीत	

32	19 क से ड.	अनिर्णीत	
33.	20	अनिर्णीत	
34.	21 क व ख	अनिर्णीत	
35	22	अनिर्णीत	
36.	23	निर्णित	वा. सं 05/12 व 01/03 दिनांक 07.12.22, 02.01.23 द्वारा 19200/- की वसूली कर ली गई है
37	24	अनिर्णीत	
38.	25	अनिर्णीत	
39.	26	अनिर्णीत	
40.	27	अनिर्णीत	
41.	28	अनिर्णीत	
42.	29	अनिर्णीत	
43	30	अनिर्णीत	
44.	31	अनिर्णीत	
45.	32	अनिर्णीत	
46.	33	अनिर्णीत	
47.	34	अनिर्णीत	
48.	35	अनिर्णीत	
49.	36	अनिर्णीत	
50.	37	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

विवरण	पैरों की सं0
दिनांक 31.03.21 को अनिर्णीत पैरों का शेष	325
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	
कुल जोड़	**352**
(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	36
31.03.23 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	325